केवल शासकीय उपयोग हेतु

नगरपालिका निर्वाचन

पीठासीन अधिकारियों के लिए

मार्गदर्शिका

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
रायपुर

जनवरी 2004

प्रस्तावना

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बहुत हद तक मतदान केन्द्र पर की गई सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ वहां पर नियुक्त कर्मचारियों की निष्पक्षता, सजगता और कार्यकुशलता पर निर्भर करते हैं । इस परिप्रेक्ष्य में मतदान केन्द्र के प्रमुख अधिकारी के रूप में पीठासीन अधिकारी का दायित्व बहुत महत्वपूर्ण है । उसे विधि और प्रकिया के प्रावधानों का पूरा ज्ञान होना चाहिए ताकि वह सहयोगी कर्मचारियों को मार्गदर्शन देने के साथ-साथ कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में आत्मविश्वास के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके । पीठासीन अधिकारियों को उनके विविध कर्तव्यों और दायित्वों की विस्तृत जानकारी देने के उद्धेश्य से इस पुस्तिका का मूल संस्करण अक्टूबर 1994 में राज्य में नगरपालिकाओं के प्रथम आम चुनावों के समय प्रकाशित किया गया था । उन चुनावों के अनुभव के आधार पर, निर्वाचन नियमों में व्यापक संशोधन किए गए । पश्चातवर्ती वर्षो में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियमों में कुछ और संशोधन हुए हैं । अतः यह आवश्यक हो गया है कि मार्गदर्शिका का एक पुनरीक्षित संस्करण प्रकाशित किया जाए । इस अवसर का उपयोग इसमें प्रक्रिया से संबंधित आयोग के कुछ नये निर्देशों का समावेश करने के लिये भी किया गया है ।

इस पुस्तिका में मतपेटियों के आकृतिचित्र और उनके प्रयोग की विधि भारत निर्वाचन आयोग के एक प्रकाशन में से लिये गये हैं और इसके लिए हम आभार ज्ञापित करते हैं ।

यहां उल्लेखनीय है कि निर्वाचन संबंधी ऐसे निर्देशों को जो मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग आयोग द्वारा 31 अक्टूबर 2000 के पहले जारी लिये गए थे। उन सभी निर्देशों/अनुदेशों को छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र क्रमांक 4128/2458/म.प्र./2001 मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) दिनांक 4 दिसंबर, 2001 द्वारा प्रवृत्त किया गया है।

पीठासीन अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे अपने विभिन्न कर्तव्यों के निर्वहन में इस मार्गदर्शिका को एक हस्त पुस्तक के तौर पर उपयोग में लाएंगे ।

रायपुरः
दिनांकः 30 अप्रैल, 2004

(डॉ.सुशील त्रिवेदी)
राज्य निर्वाचन आयुक्त
छत्तीसगढ़

विषय–सूची

अध्याय (1)	विषय–वस्तु (2)	पृष्ठ क्रमांक (3)
1.	निर्वाचन के संचालन के लिए प्रशासनिक तंत्र	1
2.	नगरपालिका निर्वाचन से संबंधित कुछ बुनियादी बातें	2–3
3.	पीठासीन अधिकारी द्वारा विशेष ध्यान देने योग्य बातें	4–6
4.	मतदान दल का प्रशिक्षण	7–8
5.	मतदान सामग्री प्राप्त करना	9–11
6.	मतदान केन्द्र की व्यवस्था	12–13
7.	मतदान अधिकारीयों के बीच कार्य विभाजन	14–15
8.	मतदान के पूर्व की तैयारियां	16–17
9.	मतदान	18–23
10.	मतदाता की पहचान के संबंध में आपत्ति (अभ्याक्षेप)	24–25
11.	निविदत्त मतपत्र	26
12.	मतदान केन्द्र पर एवं उसके आसपास व्यवस्था संबंधी कानूनी प्रावधान	27–29
13.	आपात स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही: मतदान स्थगित करना	30–31
14.	मतदान की समाप्ति के बाद की कार्यवाहियां	32–37
15.	पीठासीन अधिकारी की डायरी	38
16.	मतदान दल की वापसी तथा सामग्री जमा करना	39–40

परिशिष्टों की सूची

विषय	परिशिष्ट का क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
(1)	(2)	(3)
रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) तथा सहायक रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)	एक	41
विहित चुनाव प्रतीकों की सूची	दो	42–43
मतदान केन्द्र की आंतरिक व्यवस्था	तीन	44
मतदान दल को दी जाने वाली सामग्री की मानक सूची	चार	45–48
छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 की कतिपय महत्वपूर्ण धाराओं का उद्धहरण।	पांच	49–54
गोदरेज टाइप मतपेटी के उपयोग संबंधी अनुदेश	छः	55–61
मध्यप्रदेश टाइप मतपेटी के उपयोग संबंधी अनुदेश	सात	62–67
मतदान केन्द्र के क्षेत्र के संबंध में सूचना	आठ	68
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची	नौ	69
मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति	दस	70
अभ्याक्षेप की जमा राशि की रसीद	ग्यारह	71
अंधे एवं शिथिलांग मतदाता के साथी द्वारा घोषणापत्र	बारह	72
अभ्याक्षेपित मतों की सूची	तेरह	73
स्टेशन आफिसर, पुलिस को भेजी जाने वाली शिकायत	चौदह	74
निविदत्त मतों की सूची	पंद्रह	75
मतदान के स्थगन की सूचना	सोलह	76
मतपत्र लेखा	सत्रह	77–78
मतपत्र लेखा की पावती	अठारह	79
अधिकारी की डायरी	उन्नीस	80–82

अध्याय– 1

निर्वाचन के संचालन के लिए प्रशासनिक तंत्र

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–य क सहपठित अनुच्छेद–ट के अन्तर्गत नगरपालिकाओं के निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण की समस्त शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित हैं। छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (यथा संशोधित) की धारा 10 (5) तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 29 (5) में इस संवैधानिक प्रावधान को दोहराया गया हैं ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी जिले के अन्तर्गत आने वाली नगरपालिकाओं अर्थात् नगर निगम, नगरपालिका परिषद् तथा नगर पंचायत के निर्वाचन से संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था का दायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) के रूप में कलेक्टर को सौंपा गया है । इस कार्य में उनकी सहायता के लिए प्रत्येक जिले में एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) के रूप में नियुक्त किया गया है । आयोग के सर्वोपरि निदेशन तथा नियंत्रण के अधीन जिले में निर्वाचन संबंधी व्यवस्था की जिम्मेदारी कलेक्टर पर है । छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11(2) के अनुसार नगरपालिकाओं के निर्वाचन के संचालन के लिए नियुक्त या अभिनियोजित समस्त अधिकारी तथा कर्मचारीवृन्द राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण के अधीन कार्यरत माने जाएंगे । नियम 20–क के अनुसार ऐसे अधिकारी, निर्वाचन की अवधि के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जायेंगे ।

3. जिला मुख्यालय के नगर निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत के निर्वाचन के लिए कलेक्टर स्वयं रिटर्निंग आफिसर रहेंगे । परन्तु जिला मुख्यालय के बाहर किसी नगर निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत के निर्वाचन के लिए वे अधिकारी रिटर्निंग आफिसर होंगे जिनका उल्लेख **परिशिष्ट–एक** में है । इस परिशिष्ट मे यह भी दर्शाया गया है कि विभिन्न प्रकार की नगरपालिकाओं में सहायक रिटर्निंग आफिसर कौन–कौन अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं । यह दृष्टव्य है कि निर्वाचन नियम 14 (2) के अन्तर्गत सहायक रिटर्निंग आफिसर, रिटर्निंग आफिसर की उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जा उसे (रिटर्निंग आफिसर द्वारा) सौंपी जाएं।

******

अध्याय–2

नगरपालिका निर्वाचन से संबंधित कुछ बुनियादी बातें

1. आम चुनाव में, प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद और सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र से एक महापौर/अध्यक्ष चुना जाएगा। अतएव प्रत्येक मतदाता अपने वार्ड के पार्षद के साथ–साथ अपनी नगरपालिका के महापौर/अध्यक्ष, (अर्थात दो प्रतिनिधियों) के निर्वाचन के लिए मतदान करेगा । निर्वाचन में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों को उन दलों के लिए आरक्षित निर्वाचन प्रतीक आवंटित किए जाएंगे । शेष अभ्यर्थियों को मुक्त निर्वाचन प्रतीक आवंटित किए जाएंगे । आरक्षित प्रतीकों तथा मुक्त प्रतीकों का विवरण **परिशिष्ट–दों** में है । सामान्यतया एक मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या **1000 तक रहेगी** और प्रत्येक वार्ड में, मतदाताओं की संख्या के अनुसार एक या दो या उससे अधिक मतदान केन्द्र होंगे। परन्तु कोई भी ऐसा मतदान केन्द्र नहीं होगा जिसमें किसी एक वार्ड विशेष के अतिरिक्त किसी अन्य वार्ड के मतदाता मतदान करें । दूसरे शब्दों में, एक मतदान केन्द्र पर केवल एक विशिष्ट वार्ड या उसके किसी भाग की मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाता ही मतदान करेंगे, किसी अन्य वार्ड के नहीं ।

2. ''पार्षद'' के लिए मतपत्र का रंग निम्नानुसार रहेगा :–

(1) नगर पंचायत के मामले में नीला,

(2) नगरपालिका परिषद् के मामले में पीला,

(3) नगर निगम के मामलें में गुलाबी

''महापौर/अध्यक्ष'' के लिए मतपत्र ''सफेद रंग'' का रहेगा ।

मतपत्रों पर अभ्यर्थियों के नाम तथा निर्वाचन प्रतीक मुद्रित रहेंगे । यदि महापौर/ अध्यक्ष तथा पार्षद् का निर्वाचन साथ–साथ हों तो प्रत्येक मतदाता को दो मतपत्र (अर्थात् एक महापौर/अध्यक्ष से संबंधित और दूसरा पार्षद से संबंधित) दिए जाएंगे । दोनों मतपत्र एक ही मतपेटी में डाले जाएंगे ।

3. प्रत्येक मतदान दल को सामान्यतया एक बड़ी या दो छोटी मतपेटियां दी जाएंगी।

4. प्रत्येक मतपत्र और उसके प्रतिपर्ण (काउन्टर फाइल) पर मतपत्र का नंबर अंकित रहेगा । मतपत्र जारी करते समय प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लिये जायेंगे।

5. मतपत्र के पीछे, रबर की सुभेदक मोहर लगाई जाएगी और उसके नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर रहेंगे ।

6. सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र के लिए स्थापित मतदान केन्द्रों को एक के बाद एक, सिलसिलेवार ''क्रमांक'' (नम्बर) दिए जायेंगे और वे उसी ''क्रमांक'' से जाने जायेंगे ।

7. मतदान केन्द्र पर, मतदाता की बाई तर्जनी (उंगली) पर अमिट स्याही लगाई जाएगी तथा मतांकन के लिए घूमते हुए तीरों के चिन्ह वाली रबर की मोहर दी जाएगी ।

8. मतदान केन्द्र के अन्दर की व्यवस्था परिशिष्ट–तीन के अनुसार रहेगी । केन्द्र में सामान्यतया केवल एक मतदान कक्ष (वोटिंग कम्पार्टमेन्ट) रहेगा, परन्तु यदि मतदाताओं की संख्या 600 से अधिक हो तो दो मतदान कक्ष भी बनाए जा सकते हैं ।

9. मतदान केन्द्र के अन्दर अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता उपस्थित रह सकता है । एक समय में अभ्यर्थी की ओर से एक ही व्यक्ति रहेगा ।

10. मतदान का समय सामान्यतया प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक का रहेगा परन्तु इसमें परिवर्तन किया जा सकता है ।

11. मतगणना का कार्य, सामान्यतया मतदान के अगले दिन नगरपालिका क्षेत्र में ही स्थित किसी ऐसे भवन में किया जाएगा जिसका चयन जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

****

अध्याय–3

पीठासीन अधिकारी द्वारा विशेष ध्यान देने योग्य बातें

पीठासीन अधिकारी के रूप में आपकी नियुक्ति उस विश्वास का प्रतीक है जो राज्य निर्वाचन आयोग ने आपकी क्षमता में व्यक्त किया है । मतदान केन्द्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराना आपका परम कर्तव्य है । इसके लिए आपको सभी आवश्यक अधिकार भी दिये गये हैं। अपने कर्तव्यों तथा अधिकारों को ठीक से समझने के लिए आप इस ''मार्गदर्शिका'' का सावधानी से अध्ययन और अनुशीलन करें । आगे के अध्यायों में आपके विभिन्न कर्तव्यों का विस्तृत विवरण है। निम्नांकित बातों का विशेष ध्यान रखें :–

(1) नियुक्ति आदेश प्राप्त होते ही आपको अपने मतदान दल के अन्य सदस्यों की भी जानकारी मिल जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान उनसे सम्पर्क साधें और परिचय प्राप्त करें।

(2) आयोजित प्रशिक्षण कक्षाओं में जिज्ञासा और जागरूकता के साथ भाग लें तथा हर शंका और समस्या का समाधान करा लें।

(3) मतदान के लिए दी जाने वाली सामग्री की सूची **परिशिष्ट–चार** पर है । तद्नुसार दी गई सामग्री का सत्यापन कर लें और यह सुनिश्चित् कर लें कि हर वस्तु पूरी मात्रा में और सही हालत में है।

(4) मतदान केन्द्र में पहुंचने के पश्चात् आपको सब कुछ ठीक–ठाक होने के बारे में पुनः स्थिति और सामग्री का जायजा लेना चाहिए तथा यदि किसी प्रकार की सामग्री या सहायता की आवश्यकता हो तो उसे प्राप्त करने के लिए तुरन्त आवश्यक संदेश भिजवाना चाहिए ।

(5) मतदान केन्द्र पर की जाने वाली व्यवस्था के संबंध में स्पष्ट मानसिक रूपरेखा बना लें, विशेषकर इस दृष्टि से कि, मतदान केन्द्र के अंदर या बाहर भीड़ जमा न हो, मतदाताओं की कतारें ठीक से बने तथा मतदान की कार्यवाही, गोपनीयता का निर्वाह करते हुए, गतिपूर्वक चले । मतदान केन्द्र के अंदर की जमावट के बारे में, अपने सहयोगियों से भी परामर्श करें तथा अपने मतदान केन्द्र के कमरे के आकार तथा दरवाजों और खिड़कियों की स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए **परिशिष्ट–तीन** के अनुसार अन्दर की व्यवस्था जमाएं ।

(6) मतदान प्रारंभ होने के पूर्व लगभग 50 प्रतिशत मतपत्रों को, उनके पीछे सुभेदक मोहर लगाकर तैयार कर लें तथा आवश्यकतानुसार उन पर अपने हस्ताक्षर करते जाएं । आपको हस्ताक्षर केवल मतपत्र के पीछे करने हैं, प्रतिपर्ण के पीछे नहीं । ऐसी तैयारी कर लेने से आप समय पर मतदान प्रारम्भ करा सकेंगे और मतदान कार्य गतिपूर्वक चल सकेगा ।

(7) मतदान केन्द्र पर उपयोग के लिए आपको मतदाता सूची की 3 प्रतियां दी जाएंगी । एक आपके पास, एक मतदान अधिकारी क्रमांक–1 के पास तथा एक मतदान अधिकारी क्रमांक–2 के पास रहेगी । मतदान अधिकारी क्रमांक–1 के पास ''मतदाता सूची की चिन्हित प्रति'' रहेगी । इसमें उन मतदाताओं के नामों के समक्ष ''नि.क.म.'' (निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र) अंकित रहेगा, जिन्हें पृथकशः निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र जारी किए गए हैं। ऐसे मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर अपने मताधिकार का उपयोग करने की अनुमति नहीं है ।

मतदान अधिकारी क्रमांक–1 मतदाता से उसका नाम पूछेगा और फिर अपनी सूची में उसका क्रमांक और नाम ढूंढकर जोर से उच्चारित करेगा । यदि मतदाता के नाम के सामने ''नि.क.म.'' अंकित हो तो वह उसे लौटा देगा । मतदाता की ''पहचान'' स्थापित हो जाने पर मतदान अधिकारी क्रमांक–1 मतदाता सूची में उसके नाम के नीचे एक रेखा खींच देगा और यदि वह महिला हो तो उसके नाम के प्रारंभ में सही का निशान () भी लगाएगा । तत्पश्चात् वह मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी के नाखून की जड़ के पास अमिट स्याही लगाकर उसे मतदान अधिकारी क्रमांक–2 के पास भेजेगा ।

मतदान अधिकारी क्रमांक–2 मतदाता सूची की अपनी प्रतिलिपि देखकर, उसमें मतदाता के नाम के सामने सही का निशान (✓) भी लगाएगा तथा मतदाता का अनुक्रमांक, पार्षद तथा महापौर/अध्यक्ष के निर्वाचन के लिये उसे दिए जाने वाले मतपत्रों के प्रतिपर्णो (काउन्टर फाइल) पर पृथक–पृथक अंकित करेगा और प्रतिपर्णो पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेगा । यदि मतदाता हस्ताक्षर करने या अंगूठा निशान लगाने से इंकार करे तो उसे मतपत्र नहीं दिये जाएंगे ।

(8) निर्वाचन की गोपीनीयता बनाये रखने की दृष्टि से मतदान अधिकारी कमांक–2 द्वारा मतदाताओं को मतपत्र सिलसिलेवार नहीं दिये जाने चाहिये । मतपत्र की गड्डी में से, आगे, पीछे या बीच में कहीं से भी मतपत्र जारी किए जाने चाहिए । परन्तु मतदान के आखिर–आखिर में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि मतदाताओं को दिये गये मतपत्रों के कमांक लगातार (सतत् श्रृंखला में) हो ताकि मतपत्रों का लेखा तैयार करने में कोई कठिनाई न हो।

(9) मतदान के शांतिपूर्ण तथा सुचारू संचालन के लए आपको बराबर सजग और सचेष्ट रहना होगा। इस हेतू आपको छ.ग. स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 के अंतर्गत काफी शक्तियां प्राप्त है। इस अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों का उद्धरण **परिशिष्ट–पांच** पर है। अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आपसे व्यवहार कुशलता के साथ–साथ सौम्य दृढ़ता तथा निष्पक्षता की अपेक्षा की जाती है। मतदान के दौरान आपको निरन्तर सतर्क रहना होगा।

(10) मतदान का समय समाप्त होने के ठीक 5 मिनिट पहले यह घोषणा करें कि मतदान के लिए केवल 5 मिनिट का समय शेष है, अतः जो लोग मतदान करने के इच्छुक हों वे एक कतार में खड़े हो जाएं। जैसे ही नियत समय समाप्त हो पंक्ति में खड़े समस्त मतदाताओं को, पंक्ति के अंतिम छोर से आरम्भ करते हुए, अपने हस्ताक्षरवाली पर्चियां बांटते चले जाएं और उसके बाद किसी व्यक्ति को पंक्ति में शामिल न होने दें। मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के बाद केवल ऐसी पर्चियों वाले मतदाताओं को ही मतदान करने का अवसर दें।

(11) मतदान के पश्चात् आपको पार्षद और महापौर/अध्यक्ष के मतपत्रों के सम्बन्ध में पृथक्-पृथक् मतपत्र लेखा तैयार करने होंगे। यह कार्य महत्वपूर्ण है। इसे सावधानी से करें।

(12) विभिन्न लिफाफों में चुनाव संबंधी कागजात सील करते समय उनमें अंकित अनुदेशों का सावधानी पूर्वक पालन करें ताकि ऐसी कोई भूल-चूक न हो जाए जिसे बाद में सुधारने में परेशानी हो।

(13) पीठासीन अधिकारी की डायरी सावधानी से भरें। डायरी में महत्वपूर्ण घटनाओं का बिल्कुल तथ्यात्मक विवरण दें, जिससे उसकी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता असंदिग्ध रहे।

(14) मतदान केन्द्र से अपने दल के साथ लौटने का स्वतंत्र कार्यक्रम न बनाएं। सुरक्षा बल सहित उसी वाहन से लौटें जो, की गई परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत आपकों ले जाने और लाने के लिए, नियत है।

(15) निर्वाचन संचालन केन्द्र में लौटने पर मतपेटियां तथा अन्य सामग्री को वहां तैनात प्राधिकृत अधिकारियों को सौंपें तथा उनसे रसीद प्राप्त करने के बाद ही घर लौटें।

****

अध्याय–4
मतदान दल का प्रशिक्षण

1. मतदान केन्द्र पर आपके साथ तीन मतदान अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। मतदान दल की नियुक्ति करते समय आपके दल के मतदान अधिकरी कमांक–1 को, उस स्थिति में जब आप किसी अपरिहार्य कारण से मतदान केन्द्र से अनुपस्थित रहें, पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिए रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा। आपको चाहिए कि दल के सदस्यों के बीच टीम–भावना' पैदा करें। इससे इनकी कार्य–दक्षता बढ़ेगी और आपको अपने दायित्वों के निर्वहन में आसानी होगी।

2. आयोजित प्रशिक्षण कक्षाओं में अवश्य उपस्थित हों तथा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा कानूनी प्रावधानों को ठीक से समझ लें। मतपेटी को उपयोग में लाने संबंधी कार्य स्वयं करके देख लें, और केवल उनका प्रदर्शन देख कर ही संतुष्ट न हो जाएं। यदि प्रशिक्षण के दौरान यह कार्य आपने ठीक से करना नही सीखा तो मतदान केन्द्र में आप कठिनाई मे पड़ सकते है। वहां आपको बताने वाला कोई नहीं रहेगा। इस कार्य को विश्वासपूर्वक करने के लिए बार–बार मतपेटी खोलें और बंद करें गोदरेज टाइप मतपेटियों पर उपयोग में लाई जाने वाली पेपर सील' को लगाने की प्रक्रिया भी ठीक से समझ लें।

3. यदि आप पूर्व में भी पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हों, तब भी आपको प्रशिक्षण को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि हर निर्वाचन में प्रकिया संबंधी ऐसी कुछ नई बातें रहती है जो पूर्व के चुनावों से भिन्न होती है।

4. मतपत्र लेखा ठीक से तैयार करने का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। मतपत्र लेखा तैयार करने के सिलसिले में यदि कोई शंका हो तो प्रशिक्षकों से उसका समाधान करा लें।

5. अपनी नियुक्ति के बाद आप मतदान दल के अन्य सदस्यों से परिचय प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण सत्रों के दौरान उनसे मिलें।

6. आप या आपके दल के जो कर्मचारी ''निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र'' (इलेक्शन ड्यूटी बैलट पेपर) प्राप्त करने के इच्छुक हों वे प्रशिक्षण सत्र के समापन के पश्चात्, मौके पर उपलब्ध सहायक रिटर्निंग आफिसर से सम्पर्क साधकर ऐसा कर सकते है। वे चाहें तो वहीं मतपत्र में अपना मत अंकित कर उसे निर्धारित प्रकिया के अनुसार बंद कर, लिफाफा सहायक रिटर्निंग आफिसर को सौंप सकते है। अन्यथा वे अपना मतपत्र निम्नांकित में से किसी भी एक तरीके से रिटर्निंग आफिसर को सौंप सकते है या भेज सकते है:–

(1) किसी साथी या संदेश वाहक द्वारा,

(2) मतदान सामग्री प्राप्ति के समय या मतदान कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् केन्द्र में सामग्री जमा कराते समय, स्वयं

(3) डाक से।

7. मतदान केन्द्र पर पहुंचने के बाद प्रत्येक सदस्य को पुनः उसके दायित्वों को स्पष्टतः समझाएं और कार्यक्षेत्र तथा प्रक्रिया के बारे में उनकी शंकाओं का निवारण करें।

****

अध्याय–5
मतदान सामग्री प्राप्त करना

आपको निर्वाचन ड्यूटी के लिए मतदान दल के अन्य सदस्यों के साथ मतदान के लिए निर्धारित तारीख के ठीक पहले दिन, मतदान सामग्री प्राप्त करने के लिए बुलाया जाएगा। सामग्री लेते समय उसकी सावधानी से जांच–पड़ताल कर लें और सुनिश्चित कर लें कि वह पूरी है और प्रत्येक आयटम सही हालत में है। यदि कोई वस्तु कम हो तो उसे प्राप्त कर लें तथा कोई आयटम दोषपूर्ण हो या अच्छी हालत में न हो तो उसे बदलवा लें ।

2. आपको जो सामग्री दी जायेगी, वह निम्नांकित है।

(1) मतपेटियां.– आपको सामान्यतया एक बड़ी या दो छोटी मतपेटियां दी जायेगी, जो गोदरेज टाईप/एम.पी. टाईप या ''विशाल मध्यप्रदेश टाइप'' की होगी। पेटियां खोलने, बंद करने और इन्हें सील करने के संबंध में **परिशिष्ट–छः** और **परिशिष्ट–सात** में दिये गये निर्देशों का सावधानी से अध्ययन कर लें। यह जांच कर लें कि प्रत्येक मतपेटी चालू हालत में तथा आसानी से खुल जाती है, और बंद हो जाती है। पेटी खोलने और बंद करने का बार–बार अभ्यास करें। गोदरेज टाईप मतपेटी में पेपर सील लगाने का अभ्यास भी (एक सादे कागज के टुकड़े की सहायता से) अवश्य करें।

(2) मतदाता सूची.– आपके मतदान केन्द्र के लिए आपको संगत मतदाता सूची की तीन प्रतियां जो कि अभिप्रमाणित होंगी, दी जाएंगी। इनका मिलान सावधानीपूर्वक कर लें और यह देख लें कि सभी प्रतियां एक जैसी है। विशेष तौर पर यह देख लें कि वार्ड की जो मतदाता सूची अथवा मतदाता सूची का जो भाग–अनुक्रमांक आपको दिया गया है वह आपके मतदान केन्द्र से ही संबंधित है और यह कि सूची सभी दृष्टि से पूर्ण है। मतदाता सूची की तीन प्रतियों में से एक प्रति मतदान अधिकारी क्रमांक–1 के लिए है जिसके शीर्ष में ''चिन्हित प्रति'' अंकित रहेगा। इसमें ऐसे मतदाताओं के नामों के समक्ष ''नि.क.म.'' (निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र) अंकित होगा जिन्हें अलग से निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र जारी किए गए है। यदि सूची में ऐसा कोई मतदाता सम्मिलित न हो जिसके नाम के समक्ष ''नि.क.म.'' लिखा हो तो भी यह प्रति चिन्हित प्रति ही मानी जाएगी। शेष दो प्रतियों में से एक प्रति मतदान अधिकारी कमांक–2 के लिए तथा एक प्रति आपके उपयोग के लिए है।

(3) मतपत्र.– आपको पार्षद तथा महापौर/अध्यक्ष के लिए, दो अलग–अलग रंगों के मतपत्र दिए जाएंगे। ये मतपत्र 50–50 की गड्डियों में रहेंगे। एक या उससे अधिक गड्डियां 10 मतपत्रों की भी हो सकती है। आपके मतदान केन्द्र से सम्बद्ध मतदाताओं की

कुल संख्या को, अगले दशमांश तक पूर्ण करने पर जो संख्या आएगी, उतने मतपत्र आपको अवश्य दिए जाएंगे। उदाहरण के लिये यदि आपके मतदान केन्द्र पर 863 मतदाता हैं तो आपको 870 मतपत्र दिए जाएंगे। अर्थात् 50-50 मतपत्रों वाली सत्रह गड्डियां तथा 10-10 मतपत्रों की दो गड्डियां। मतपत्रों पर सिलसिलेवार क्रमांक अंकित रहेंगे। आप मतपत्र प्राप्त करते समय सावधानीपूर्वक यह देख लें कि आपको दिए गए मतपत्रों की संख्या आपके केन्द्र में मतदाताओं की संख्या से कम तो नहीं है। आप मतदाताओं की संख्या आपको दी गई मतदाता सूची से ज्ञात कर सकते है। प्रत्येक गड्डी के हर मतपत्र तथा उसके प्रतिपर्ण पर मुद्रित अनुक्रमांकों (नंबरो) का मिलान करके देख लें कि वे एक ही हैं। इसी प्रकार यह भी देख लें कि प्रत्येक मतपत्र में चुनाव प्रतीक तथा अभ्यर्थियों के नाम ठीक से मुद्रित है। यदि किसी मतपत्र तथा उसके प्रतिपर्ण में मुद्रित अनुक्रमांक एक समान न हों या किसी मतपत्र में प्रतीक या किसी अभ्यर्थी का नाम ठीक से मुद्रित न हो तो ऐसे मतपत्र के उपर दो तिरछी लाईनें (×) खींच कर उसे रद्द कर दें। ऐसा मतपत्र किसी मतदाता को नहीं दिया जाएगा।

(4) सुभेदक मोहर.- मतदान के पूर्व आपको प्रत्येक मतपत्र के पीछे अध्याय-8 की कंडिका 1 में वर्णित सुभेदक मोहर लगानी होगी। मोहर को सादे कागज में लगाकर देख लें कि उससे स्पष्ट छाप बन जाती है या नहीं।

(5) अमिट स्याही की शीशी- यह देख लें कि अमिट स्याही की शीशी में स्याही पर्याप्त मात्रा में है।

(6) स्टाम्प पैड.- यह देख लें कि स्टाम्प पैड सूखा हुआ तो नहीं है।

(7) अभ्यर्थियों की सूची.- चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों की सूची की 3 प्रतियां आपको दी जायेगी। इन सूचियों में अभ्यर्थियों के नाम वर्णमाला के अक्षरो के क्रम (वर्णक्रम) के अनुसार लिखे होंगे तथा उनके चुनाव प्रतीक भी दर्शाये रहेंगे। मतदान केन्द्र में पहुंचने पर इनमें से एक प्रति आपको केन्द्र से बाहर सूचना फलक पर प्रदर्शित करनी होगी तथा दूसरी प्रति केन्द्र के अंदर किसी सहज दृश्य स्थान पर लगानी होगी। एक प्रति आपके पास संदर्भ के लिए रहेगी।

(8) पेपर सीलें.- यदि आपको गोदरेज टाइप मतपेटी दी गई हों तो उसे बंद करते समय सादे कागज की सील (पेपर सील) लगाई जानी होगी। अतः यह देख लें कि आपको पेपर सील दी गई है। या नहीं।

(9) घूमते हुए तीरों वाली रबर की मोहरें.- मतदाताओं को मत अंकित करने के लिए आपको घूमते हुए तीरों के चिन्ह वाली रबर की दो मोहरें दी जाएंगी। सादे

कागज पर इनका ठप्पा लगाकर यह देख लें कि ये दोनो सीलें पूरा और साफ निशान (इम्प्रेशन) बनाती हैं।

(10) प्ररूप(फार्म) तथा लिफाफे.– मतदान सम्पन्न कराने के लिए आपको जो विभिन्न प्ररूप, (फार्म) तथा लिफाफे दिये जायेंगे उनका विवरण **परिशिष्ट–चार** में है। यह देखे लें कि आपको इस परिशिष्ट में उल्लेखित सभी वस्तुएं प्राप्त हो गई हैं।

(11) विविध.– मतदान केन्द्र के इर्द–गिर्द 100 मीटर की सीमा दर्शाने की लिए, लगाए जाने वाले मुद्रित सूचना–पत्र आदि।

****

अध्याय–6

मतदान केन्द्र की व्यवस्था

नगर पालिका क्षेत्र में बनाए गए निर्वाचन संचालन केन्द्र पर आपके मतदान दल को मतदान केन्द्र तक पहुंचाने और वहां से लाने की व्यवस्था की गई है। निर्वाचन संचालन केन्द्र तक आपको स्वयं ही, उस तारीख तथा समय पर पहुंचना होगा जो आपको भेजे गये नियुक्ति आदेश/सूचना पत्र में अंकित हों। सामान्यतया आपको इस केन्द्र पर मतदान की तारीख के ठीक एक दिन पूर्व बुलाया जाएगा ताकि आप मतदान की समस्त सामग्री प्राप्त कर उसी दिन शाम 4.00 बजे तक, अपने मतदान केन्द्र पर पहुंच जाएं।

2. यदि आपके दल का कोई मतदान अधिकारी, मतदान की तारीख के पहले दिन शाम को पांच बजे तक मतदान केन्द्र पर उपस्थित न हो पाए या गंभीर रूप से अस्वस्थ हो जाए तो आप इसकी सूचना क्षेत्रीय (जोनल) अधिकारी या सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से तुरन्त, रिटर्निंग आफिसर को भिजवाएं ताकि वे आरक्षित मतदान दलों में से किसी ऐवजीदार को भेजने की कार्यवाही कर सकें। प्रातःकाल तक ऐसी व्यवस्था न हो पाने की स्थिति में आप अनुपस्थित मतदान अधिकारी के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकते है। इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा व्यक्ति किसी अभ्यर्थी कि लिए काम न कर रहा हो तथा किसी राजनैतिक दल का सक्रिय कार्यकर्ता न हो।

3. यदि आप गंभीर अस्वस्थता या अन्य अपरिहार्य कारण से अपने कर्तव्य का निर्वहन करने की स्थिति में न हों तो जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग आफिसर द्वारा पहले से इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत मतदान अधिकारी, अर्थात् मतदान अधिकारी कमांक–1 आपके स्थान पर कार्य करेगा।

4. आप मतदान केन्द्र पर अपने दल के किसी भी मतदान अधिकारी को काई भी काम सौंप सकते है।

5. मतदान केन्द्र में पहुंचकर सबसे पहले प्रस्तावित मतदान केन्द्र के भवन का निरीक्षण करें। आदर्श मतदान केन्द्र का अभिन्यास परिशिष्ट–तीन में दर्शाया गया है। केन्द्र पर ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि–

(i) अपनी बारी की प्रतिक्षा में खड़े पुरूष और महिला मतदाताओं के लिए पर्याप्त स्थान हो।

(ii) मतदाताओं के आने–जाने के रास्ते अलग–अलग हों। यदि कक्ष में केवल एक ही प्रवेश द्वार हो तो रस्सी बांधकर अंदर जाने और बाहर निकलने के अलग–अलग रास्ते बनाने की व्यवस्था करें।

(iii) मतदान अभिकर्ताओं को इस प्रकार बैठाने की व्यवस्था करें कि जब कोई मतदाता आकर मतदान अधिकारी कमांक–1 के सामने खड़ा हो तो वे (अभिकर्तागण) उसका चेहरा देख सकें और जरूरत पड़ने पर उसकी ''पहचान'' को चुनौती दे सकें। ऐसी सर्वाधिक उपयुक्त जगह मतदान अधिकारी क्रमांक–1 के पीछे रहती है।

(iv) मतदान कक्ष में (जहां जाकर, मतदाता मतपत्र पर चिन्ह लगाएगा) इस तरह की आड़ (ओट) हो कि कोई यह न जान सके कि मतदाता ने किस अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान किया है।

(v) मतदान कक्ष के अन्दर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए।

(vi) केन्द्र के अंदर मतदान कक्ष ऐसे स्थान पर बनाएं और मतपेटियों को ऐसी जगह रखें कि मतदाताओं को ज्यादा आड़ा–तिरछा न चलना पड़े।

(vii) मतदान केन्द्र के अन्दर पहले से लगे ऐसे प्रत्येक फोटो अथवा चित्र को, जिसका संबंध किसी राजनैतिक दल से या किसी अभ्यर्थी के चुनाव प्रतीक से जोड़ा जा सके, हटा लें।

6. प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर तथा भीतर निम्नलिखित सूचनाएं प्रमुखतः प्रदर्शित की जाएं–

(क) विनिर्दिष्ट क्षेत्र, जिसके मतदाताओं को मतदान केन्द्र में मत देने का हक हो; (परिशिष्ट आठ)

(ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों की सूची, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के सामने उसे आवंटित निर्वाचन प्रतीक भी दर्शाया गया हो। (परिशिष्ट नौ)

7. छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 की धारा 6 (1) के अनुसार मतदान केन्द्र के इर्द–गिर्द सौ मीटर की सीमा के भीतर मतदान की तारीख को किसी भी प्रकार का न तो प्रचार किया जाना चाहिए और न ही किसी मतदाता से मतों की संयाचना की जानी चाहिए। अतः मतदान केन्द्र के चारों ओर सौ मीटर की दूरी दर्शाने वाले मुद्रित पोस्टर भी यथास्थान लगा दें। ये पोस्टर आपको मतदान सामग्री के साथ प्रदाय किए जाएंगे।

****

अध्याय–7

मतदान अधिकारियों के बीच कार्य विभाजन

मतदान प्रकिया के सुव्यवस्थित और दक्षतापूर्ण ढंग से संचालन के लिये विभिन्न अधिकारियों को निम्नानुसार कार्य सौंपा जाना चाहिए:–

मतदान अधिकारी कमांक–1

यह अधिकारी मतदाता के प्रवेश करते ही उससे उसका नाम पूछेगा तथा मतदाता सूची में उसका नाम ढूंढेगा। नाम खोज लेने के पश्चात् वह मतदाता का क्रमांक तथा नाम जोर से उच्चारित करेगा। मतदाता द्वारा लाई गई मात्र पहचान पर्ची के आधार पर उसे वही मतदाता नहीं मान लिया जाना चाहिए। यदि मतदाता सूची में मतदाता के नाम के सामने नि. क.म. (निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र) अंकित हो तो इसका अर्थ है कि मतदाता को पहले से ही निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र जारी किया जा चुका है तथा उसे मतदान केन्द्र पर मतदान करने की अनुमति नहीं दी जानी है। ऐसे मतदाता के मामले में आगे बगैर और कोई कार्यवाही किए, उसे लौटा दिया जाए। मतदाता की पहचान (आयडेन्टिटी) के संबंध में किसी मतदान अभिकर्ता द्वारा कोई आपत्ति न की जाने पर मतदान अधिकारी मतदाता सूची में उसके नाम को रेखांकित करेगा तथा यदि मतदाता महिला हो तो उसके नाम के सामने सही का चिन्ह (✓) भी लगाएगा। यही अधिकारी मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी (अंगूठे के बाद की उंगली) के नाखून की जड़ के पास अमिट स्याही का निशान भी लगाएगा। बाएं हाथ में तर्जनी न होने की स्थिति में उसके बाद वाली उंगली पर और बाएं हाथ की कोई उंगली न होने पर दाहिने हाथ की तर्जनी पर स्याही लगाएगा। तदुपरान्त मतदाता मतदान अधिकारी कमांक–2 के सम्मुख जाएगा।

मतदान अधिकारी कमांक–2

यह अधिकारी मतदाता को पहले पार्षद पद के लिये मतपत्र देगा तथा मतदाता सूची में अंकित मतदाता का अनुकमांक उसे दिए गये मतपत्र के प्रतिपर्ण में दर्ज करेगा और मतपत्र के प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेगा। तदुपरान्त यही अधिकारी, मतदाता को महापौर/अध्यक्ष पद के लिये मतपत्र देगा और मतपत्र के प्रतिपर्ण पर मतदाता सूची में उसका अनुकमांक दर्ज करेगा और प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेगा। मतपत्र देते समय यह अधिकारी मतदाता सूची में मतदाता के नाम के समान सही का निशान (✓) लगाता जाएगा। यदि कोई मतदाता प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर करने से या अंगूठे का निशान लगाने से मना करे तो उसे कोई मतपत्र नहीं दिया जाएगा। प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेने के बाद यह अधिकारी (क्रमशः पार्षद और महापौर/अध्यक्ष से संबंधित) मतपत्र मोड़कर मतदाता को देगा और साथ में मत अंकित करने के लिये ''घूमते हुए तीरों वाली'' रबर की मोहर स्याही लगाकर देगा तथा उसे

मतदान कक्ष में जाकर मत अंकित करने तथा उसके बाद दोनों मतपत्रों को बीच में रखी मतपेटी में डालने के बारे में समझाइश देगा। प्रत्येक मतपत्र को पहले खड़ा और बाद में आड़ा करके मोड़ा जाएगा, लेकिन यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यार्थियों की संख्या 9 से अधिक हो और इस कारण मतपत्र दो खानों में छपा हो तो उसे पहले दोनों अर्ध-भागों के बीच से खड़ा मोड़ा जाएगा और तत्पश्चात् दोनों भागों बांटने वाली छायांकित (खड़ी) रेखा के उपर मोड़ा जाएगा। उपरोक्तानुसार मोड़ने के बाद मतपत्र पुनः खोलकर मतदाता को दिये जाएंगे।

मतदान अधिकारी क्रमांक-3

इस अधिकारी का कर्तव्य अन्य अधिकारियों की तुलना में अपेक्षाकृत आसान है। इसे बीच में रखी मतपेटी पर सतत् निगाह रखनी है और यह देखना है कि मतदाता मत अंकित करने के पश्चात् मतपत्र पेटी पर में ही डाले। यह अधिकारी बीच-बीच में ''पुशर'' के द्वारा मतपेटी में डाले गये मतपत्रों को अंदर ढकेलता भी रहेगा ताकि मतपेटी की पूरी क्षमता का उपयोग हो सके। साथ ही यह अधिकारी मतदाताओं को मतदान कक्ष की ओर भेजने, मतपेटी में मतपत्र डलवाने तथा मतदान के पश्चात् शीघ्रता से बाहर निकलने में उनकी सहायता करेगा।

****

अध्याय–8

मतदान के पूर्व की तैयारियां

1. मतदान के लिये मतपत्र अभिप्रमाणित करना:

(i) मतदान केन्द्र पर पहुंचने के पश्चात् आपका एक महत्वपूर्ण कार्य मतदान के लिये मतपत्र अभिप्रमाणित करना होगा। इस हेतु मतदान के पूर्व आप लगभग पचास प्रतिशत मतपत्रों में प्रत्येक के पीछे की तरफ रबर की सुभेदक मोहर लगा लें। इस मोहर में पहले से ही वार्ड क्रमांक तथा उसके नीचे मतदान केन्द्र का क्रमांक निम्नानुसार अंकित रहेंगे:–

उपरोक्त उदाहरण की सुभेदक मोहर में 5 का अंक वार्ड क्रमांक दर्शाता है, जबकि 10 अंक मतदान केन्द्र का क्रमांक दर्शाता है। सुभेदक मोहर लगाते समय मोहर पर बहुत अधिक स्याही न लगाएं और न ही मोहर से मतपत्र को जोर से या देर तक दबाएं, अन्यथा मतपत्र के सामने की ओर मोहर की स्याही का धब्बा आ जाएगा।

5
10

(ii) मतपत्रों के पीछे की ओर सुभेदक मोहर लगाने के पश्चात आपको उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करने है। हस्ताक्षर करने का काम आपको मतदान की सुबह ही करना चाहिए, उससे पहले नहीं। आप प्रारंभ में कुछ ही मतपत्रों पर हस्ताक्षर करें और उसके बाद जैसे–जैसे मतपत्रों का उपयोग होता जाए उसके अनुसार और मतपत्रों पर हस्ताक्षर करते जाएं। प्रयास यह हो कि मतदान के अंत में हस्ताक्षर युक्त मतपत्र कम से कम संख्या में बचें।

2. सूचनाओं का प्रदर्शन

मतदान के दिन, सर्वप्रथम आप मतदान प्रारंभ होने के कम से कम आधे घण्टे पूर्व मतदान केन्द्र के बाहर और भीतर वे सूचनाएं प्रदर्शित करें जो अध्याय–6 की कंडिका 6 तथा 7 में वर्णित है। आपको चाहिए कि इन सूचनाओं को मतदान की तारीख की पूर्व संध्या को ही, तख्ती/कार्ड बोर्ड में चिपकाकर तैयार कर लें।

3. मतपेटी तैयार करना

(1) (i) मतदान निर्धारित समय पर प्रारंभ करने के लिये आपको एक मतपेटी पहले ही तैयार कर लेनी होगी। मतपेटी तैयार करने का यह कार्य मतदान आरंभ करने के लिए निर्धारित समय के 20 मिनट पूर्व प्रारंभ कर दें। जो अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ता मौके पर उपस्थित हों, उन्हें मतपेटी का निरीक्षण कर लेने दें और यह दिखा दें कि मतपेटी रिक्त है तथा उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तत्पश्चात जिस टाइप की मतपेटी आपको दी गई है, उस टाइप के लिये निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए मतपेटी तैयार करें। गोदरेज टाइप मतपेटियों के लिये आपको जो

सादी पेपर सीलें दी गई है उनमें से एक को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मतपेटी पर सावधानी से लगाए। पेपर सील लगाने के पूर्व उस पर उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करालें और स्वयं भी अपने हस्ताक्षर करें।

(ii) मतपेटी को सीलबंद करने के पूर्व उसके अंदर निम्नानुसार एक पते की चिट भी डालें:-

न. निगम/न.पा. परिषद/नगर पंचायत.....
वार्ड क्रमांक.....
मतदान केन्द्र क्रमांक.....
मतपेटी क्रमांक.....

इस चिट में मतपेटी का क्रमांक 1, 2 या 3 उसी क्रम में मतपेटियां एक के बाद एक उपयोग में लाई है, मतपेटी को सील करने के बाद ऐसी ही एक चिट मतपेटी के हैण्डल पर भी बांध दें।

मतदान की कार्यवाही प्रारंभ होने के ठीक पूर्व मतपेटी को निर्धारित स्थान पर, एक स्टूल या मेज के उपर रखें।

सीलबंद करने के बाद मतपेटी को अपने बैठने के स्थान के पास रख दें। मतपेटी तैयार और सीलबंद करने की प्रक्रिया मतपेटी के टाइप के अनुसार क्रमशः **परिशिष्ट छः** और **परिशिष्ट सात** में वर्णित है।

(iii) यदि आपको बड़ी मतपेटी दी गई हो तो पहले आप उसका उपयोग करें।

(2) अभ्यार्थियों और उनके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ताओं से मतदान आरंभ होने के कम से कम 20 मिनिट पहले केन्द्र में पहुंचने की अपेक्षा है, ताकि वे मतपेटी तैयार करने की आरम्भिक कार्यवाही का देख सकें। यदि कोई अभिकर्ता समय पर न आये तो उसके लिये प्रतीक्षा करने या आरम्भिक कार्यवाही नये सिरे से करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) हो सकता है कि जब आप मतपेटी तैयार करने लगे तो उसे दोषपूर्ण या क्षतिग्रस्त होना पाएं। ऐसी स्थिति में, आप उपलब्ध अन्य मतपेटी का पहले उपयोग करें और इस बीच क्षतिग्रस्त पेटी को बदले जाने के लिए क्षेत्रीय (जोनल) अधिकारी/रिटर्निंग आफिसर को सूचना भिजवाएं। यदि कदाचित आपके पास अन्य मतपेटियां न हो तथा समय

पर अतिरिक्त मतपेटी न मिल पाए तो आप मतदान का कार्य उपलब्ध क्षतिग्रस्त मतपेटी से ही प्रारंभ करें। ऐसी स्थिति में दोषपूर्ण या क्षतिग्रस्त मतपेटी को सुतली या डोरी से बांध दें और (उसकी) गांठ को दफती या मोटे कागज के एक टुकड़े पर टिकाते हुए चपड़ी से सील कर दें। अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को भी अपनी सील लगाने का अवसर दें। इस तथ्य का उल्लेख अपनी डायरी में ''अन्य महत्वपूर्ण घटना'' शीर्षक के अंतर्गत करें।

****

अध्याय–9

मतदान

1. मतदान केन्द्र में प्रवेश

(1) आपको चाहिए कि मतदान केन्द्र के अंदर भीड़ न होने दें। इसके लिए केन्द्र के बाहर लगी कतारों में से बारी–बारी से महिला तथा पुरूष मतदाताओं को सीमित संख्या में मतदान केन्द्र के अंदर आने की अनुमति दें। निम्नांकित प्रकार के व्यक्तियों को छोड़कर आप अन्य किसी भी व्यक्ति को, मतदान केन्द्र के अंदर आने से रोक सकते हैं तथा वहां से हटा सकते हैं:–

(1) निर्वाचन आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति,

(2) अभ्यर्थी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता,

(3) मतदाता के साथ गोदी का शिशु,

(4) अंधे या विकलांग मतदाता के साथ उसकी सहायता करने वाला एक व्यक्ति, तथा

(5) ऐसा व्यक्ति जिसे रिटर्निंग आफिसर या आप मतदाताओं को पहचानने के लिए नियोजित करें।

(2) प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को अपना नियुक्ति पत्र जो कि परिशिष्ट–दस (प्ररूप–12) में होगा प्रस्तुत करने को कहें। यह ठीक से देख लें कि नियुक्ति आपके मतदान केन्द्र के लिये ही की गई है। तत्पश्चात उसे नियुक्ति पत्र की प्रविष्टियां पूर्ण करने और घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने को कहें। प्राप्त नियुक्ति पत्रों को संभाल कर रखें और मतदान के बाद उन्हें निर्धारित लिफाफे (क्रमांक–9) में डालें।

(3) अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ताओं को मतदान अधिकारी क्रमांक–1 के ठीक पीछे बैठाएं यदि प्रवेश द्वार की विशिष्ट स्थिति के कारण ऐसा करने में कोई अड़चन हो तो उन्हें ऐसी जगह बिठाए कि वे मतदाताओं के चेहरे आसानी से देख सकें और आवश्यकता पड़ने पर किसी मतदाता की पहचान के संबंध में अभ्याक्षेप (आपत्ति) कर सकें।

(4) मतदान केन्द्र पर तैनात पुलिसकर्मी या विशेष पुलिस अधिकारी सामान्यता केन्द्र के बाहर की ड्यूटी पर रहेंगे, जब तक कि व्यवस्था बनाए रखने के लिये आप उन्हें अन्दर न बुलाएं।

(5) महिला मतदाताओं की सहायता के लिये आप किसी स्थानीय महिला कर्मचारी को नियोजित कर सकते है, परन्तु उसे मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार के बाहर ही बैठाएं और मतदान केन्द्र के अंदर तभी बुलाएं जब किसी मतदाता विशेष को पहचानने के लिये या उसकी तलाशी या अन्य किसी विशेष प्रयोजन के लिये उसकी आवश्यकता हो।

उपरोक्तानुसार मतदान केन्द्र में प्रवेश संबंधी अनुशासन को दृढ़ता से लागू करें अन्यथा वहां भीड़ हो जाएगी और व्यवस्था बनाए रखने की समस्या पैदा होगी।

(6) यदि आपको लगे कि मतदान केन्द्र पर कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से खड़ा है और मतदान के सुचारू संचालन में व्यवधान पैदा कर रहा है, तो आप उसे चले जाने के लिए कहें। फिर भी यदि वह न जाए तो उसे हटाए जाने के लिए केन्द्र पर तैनात पुलिस कर्मी को निर्देश दे सकते है।

(7) अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, आपको केवल राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग आफिसर के निर्देशों का पालन करना है। निर्वाचन ड्यूटी के दौरान आपको अपने विभागीय उच्चाधिकारियों या अन्य किसी व्यक्ति से कोई आदेश नहीं लेने हैं।

2. मतदान का प्रारंभ

(1) मतदान निर्धारित समय पर प्रारंभ करें। यदि कदाचित मतपेटी करने में कुछ विलम्ब हो जाए, हालांकि ऐसा होना बहुत अवांछनीय होगा, तो आप निर्धारित समय पर 4-5 मतदाताओं को केन्द्र में प्रवेश दे दें तथा मतदान अधिकारी क्रमांक-1 से उनकी पहचान आदि की कार्यवाही करने को कहें। ध्यान रखें कि मतदान प्रारम्भ करने में हुए इस प्रकार के विलम्ब के बावजूद मतदान बंद करने के लिए निर्धारित समय को आप और आगे नहीं बढ़ा सकते।

(2) मतदान के प्रारम्भ होने के पूर्व सभी उपस्थित लोगों (ड्यूटी पर तैनात मतदान अधिकारियों तथा अभ्यर्थियों के अभिकर्ताओं) को मत की गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में उनके कर्तव्य तथा उसके उल्लंघन के लिए दण्ड के बारे में छ.ग. स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 **(परिशिष्ट-पांच)** की धारा 14 के प्रावधान की जानकारी दे दें।

(3) (i) मतदान केन्द्र में प्रत्येक मतदाता के प्रवेश करने पर मतदान अधिकारी क्रमांक-1, उसके नाम का और उसके द्वारा बताए गये अन्य ब्यौरों का मतदाता सूची में दी गई संगत विशिष्टियों से मिलान करेगा और इसके बाद वह मतदाता का अनुक्रमांक तथा नाम जोर से पढ़कर सुनाएगा।

(ii) मतदाता की पहचान (आयडेन्टिटी) को कोई चुनौती न दिये जाने पर मतदान अधिकारी क्रमांक–1 वह सारी कार्यवाही करेगा जिसका उल्लेख अध्याय–7 में किया गया है। यदि चुनौती दी जाए तो वह अध्याय–11 में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

तदुपरान्त मतदान अधिकारी क्रमांक–2 वह सारी कार्यवाही करेगा जिसका विवरण अध्याय–7 में दिया गया है। मतदान अधिकारी क्रमांक –3 सामान्य सहायता तथा मतपेटी पर नजर रखने के लिये है।

(iii) मतदान मे प्रतिरूपण रोकने के एक पूर्वोपाय के रूप में मतदाता की पहचान स्थापित हो जाने पर:–

(क) उसके बाएं हाथ की तर्जनी (अंगठे के बाद की उंगली) के नाखून की जड़ के पास अमिट स्याही का निशान लगाया जाए। बाएं हाथ की तर्जनी न होने की स्थिति में उसके बाद की उंगली पर और बाएं हाथ में कोई उंगली न होने पर दाएं हाथ की तर्जनी पर, स्याही का निशान लगाया जाए, तथा

(ख) मतदाता को मतपत्र दिये जाने के पूर्व, मतपत्र के प्रतिपर्ण पर उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिया जाए।

यदि कोई मतदाता अमिट स्याही का निशान लगाने से मना करे अथवा मतपत्र के प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर करने या अंगूठे का निशान लगाने से मन करे तो उसे मतपत्र नहीं दिया जाए।

(iv) मतदान अधिकारी क्रमांक–1 को अमिट स्याही की शीशी को बहुत सावधानी से सम्हालकर रखने के लिए कहें। शीशी को लुढ़कने के लिए उसे किसी कप या टीन के खाली डिब्बे या चौड़े पैंदे वाले किसी बर्तन में, कुछ बालू या गीली मिट्टी में मजबूती से जमा कर रखा जाना चाहिए। शीशी में लगी प्लास्टिक या कांच की छड़ खड़ी करके रखी जानी चाहिए तथा उसे मतदाता की तर्जनी पर चिन्ह लगाने के अलावा बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए।

(v) मतदान के पश्चात् मतदाता को शीघ्र बाहर जाने को कहा जाए। जिस कमरे में मतदान केन्द्र स्थापित किया गया हो उसमें यदि दो दरवाजे हों तो एक दरवाजे का उपयोग केवल मतदाताओं के बाहर निकलने के लिए किया जाए।

(vi) अंधेपन या शारीरिक असमर्थता के कारण यदि कोई मतदाता मतपत्र पर बने प्रतीकों को पहचानने में या बिना किसी की सहायता के प्रतीक पर मोहर लगाने में असमर्थ हो या विकलांगता के कारण मतपत्र मतपेटी में डालने में असमर्थ हो तो आप ऐसे मतदाता को, उसकी इच्छा के अनुसार कारण मतपत्र पर मतांकन करने और मतपत्र को इस प्रकार

मोड़ने के लिए कि मत छिप जाए और उसे मतपेटी में डालने के लिए अपने साथ एक साथी को (जिसकी आयु 18 वर्ष से कम की न हो) मतदान कक्ष में ले जाने की अनुमति दें। परन्तु इसके पूर्व ऐसे साथी से प्ररूप-16 में जो कि **परिशिष्ट-बारह** पर दिया गया है, यह घोषणा प्राप्त की जाए कि उसने उस दिन अन्य किसी मतदाता के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है तथा वह मत की गोपनीयता बनाए रखेगा।

(vii) पुरूष तथा स्त्री मतदाताओं को बारी-बारी से 4-5 की टोलियों में मतदान केन्द्र के अन्दर प्रवेश देने की व्यवस्था करें। जिन महिलाओं की गोद में बच्चे हों उन्हें प्रवेश देने में प्राथमिकता दें।

(viii) मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए यह वांछनीय है कि संबंधित मतदान अधिकारी मतपत्रों की गड्डी से मतपत्रों को अनुक्रमांकवार जारी न करते हुए आगे-पीछे से करें। ऐसा करने से कोई यह अंदाज नहीं लगा पाएगा कि किस मतदाता को कौन से अनुक्रमांक का मतपत्र मिला है। परन्तु मतदान के अंतिम चरण में (अर्थात् मतदान बंद होने के समय) मतपत्र क्रमवार जारी करना ही उपयुक्त होगा, जिससे कि मतपत्र लेखा बनाने में कोई परेशानी न हो।

(ix) यदि कोई मतदाता असावधानी से, जिसके पीछे, उसकी दुर्भावना न हो, अपना कोई मतपत्र खराब कर दे और उसे लौटाना चाहे तो उसके संबंध में आप अपना समाधान कर लेने के पश्चात्, उसे उसी प्रकार का दूसरा मतपत्र दे सकते है। इस प्रकार लौटाए गये मतपत्र पर ''खराब-रद्द किया गया'' शब्द अंकित करें और उसे अलग रखें।

(x) मतपत्र प्राप्त करने के बाद यदि कोई मतदाता उसका उपयोग न करना चाहे और उसे आपको लौटाना चाहे तो आप उसे भी ले लें। इस प्रकार लौटाये गये मतपत्र पर ''लौटाया गया-रद्द किया गया'' शब्द अंकित करते हुए उसे भी अलग रखें।

(xi) यदि मतदाता को जारी कोई मतपत्र उसके द्वारा मतपेटी में न डाला जाये और ऐसा मतपत्र मतदान केन्द्र में या उसके निकट किसी भी स्थान पर पाया जाए तो उसे भी ''लौटाया गया-रद्द किया गया'' समझा जाए और उसके संबंध में भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाए।

3. ड्यूटी पर तैनात अभिकर्ताओं द्वारा मतदानः

अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता, जो उस वार्ड का मतदाता हो जिसके लिए मतदान केन्द्र स्थापित किया गया है, अपनी ड्यूटी के मतदान केन्द्र पर अपना मतदान कर सकता है।

4. मतदान केन्द्र के अंदर व्यवस्था बनाए रखना

(i) आपसे यह अपेक्षित है कि आप मतदान केन्द्र के अंदर अनुशासन बनाए रखें जिससे मतदान शान्ति से और गतिपूर्वक सम्पन्न हो सके।

(ii) मतदान केन्द्र के अंदर, किसी को धूम्रपान की अनुमति न दें। यदि कोई अभ्यर्थी/अभिकर्ता धूम्रपान करना चाहे तो उसे केन्द्र के बाहर जाने को कहें।

(iii) किसी भी अभिकर्ता को मतदाताओं को जारी किए गए मतपत्रों के अनुक्रमांक नोट न करने दें। अभिकर्ताओं को आपस में बातचीत करने या अपने स्थान से उठ कर इधर-उधर चलने से भी रोकें।

(iv) मतदान के दौरान आप ऐसे व्यक्ति को जो आपके विधिपूर्ण निर्देशों का पालन न करे, मतदान केन्द्र से बाहर भेज सकते हैं।

5. मतदान केन्द्र पर फोटो खींचना

पत्रकारों/फोटोग्राफरों द्वारा मतदान केन्द्र के बाहर कतार में खड़े मतदाताओं के फोटो लिये जाने में कोई आपत्ति नहीं हैं। परन्तु बगैर आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये गये अधिकारपत्र के, उन्हें मतदान केन्द्र के अंदर प्रवेश न दें। किसी भी परिस्थिति में किसी फोटोग्राफर को मतदान कक्ष के निकट (जहां कि मतदाता, मतपत्र पर निशान लगाता है) न जाने दें और न ही मतांकन करते हुए किसी मतदाता का फोटो लेने दें।

6. केन्द्र पर प्रेक्षक/क्षेत्रीय अधिकारियो का आगमनः

राज्य निर्वाचन आयेग द्वारा नगरपालिका निर्वाचन के सिलसिले में नियुक्त प्रेक्षक मतदान की अवधि के दौरान कभी भी आपके मतदान केन्द्र में आ सकते है। पहचान में आसानी के लिए वे ''बैज (बिल्ला) लगाए रहेंगे तथा आपको अपना परिचय देंगे। उनके द्वारा आपको कोई निर्देश नहीं दिये जाएंगे किन्तु यदि वे आपके मतदान केन्द्र पर मतदाताओं को हो रही असुविधा को दूर करने या मतदान की प्रक्रिया को अधिक गतिशील और सरल बनाने की दृष्टि से कोई बात कहें तो उस पर अवश्य विचार और कार्यवाही करें। उनकी पृच्छाओं का आदरभाव के साथ जवाब दें।

मतदान के दौरान बीच-बीच में आपके केन्द्र की स्थिति का जायजा लेने के लिए जिला/उप जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटिर्निंग/सहायक रिटर्निंग आफिसर या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी जैसे कि क्षेत्रीय (जोनल) अधिकारी या मजिस्ट्रेट आएंगे। उन्हें ऐसी हर समस्या या कठिनाई से अवगत कराएं जिसका आप सामना कर रहे हैं। वे आपकी

सहायता के लिए ही आपके पास आ रहे हैं। अतः उनसे सहायता मांगने या उन्हें अपनी परेशानी बताने में कोई संकोच न करें

7. एक मतपेटी भर जाने पर दूसरी मतपेटी का उपयोगः

जब पहली मतपेटी भरने लगे तथा ''पुशर'' से दबाने के बाद भी मतपेटी में मतपत्र डालने में कठिनाई प्रतीत हो तो दूसरी मतपेटी तैयार करके रख लें। पहली मतपेटी के भरते ही इस दूसरी मतपेटी का उपयोग प्रारम्भ कर दें। साथ ही, पहली मतपेटी की दरार (स्लिट) को, जिसमें से मतपत्र डाले जाते है, निर्धारित प्रकिया के अनुसार बन्द कर दें। भरी हुई मतपेटी को सीलबंद करने के पश्चात; अपने बैठने के स्थान के पास या उस मेज के नीचे रखें, जिसके उपर मतदान के लिए नई मतपेटी रखी गई है। यदि कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन/मतदान अभिकर्ता मतपेटी पर अपनी सील लगाना चाहे तो उसे ऐसा करने की अनुमति दें।

मतदान समाप्ति की घोषणाः

(1) मतदान का समय सामान्यतया प्रातः 7.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक का रहेगा, परन्तु इसमें परिवर्तन संभव है।

(2) मतदान बंद करने के लिए नियत समय के पांच मिनिट पहले मतदान केन्द्र के बाहर यह घोंषणा करें कि मतदान के लिए केवल पांच मिनिट का समय शेष है, अतः जो लोग मतदान करने के इच्छुक हों वे एक पंक्ति में खड़े हो जाएं। जैसे ही 5.00 बजे का समय हो, मतदान केन्द्र के बाहर पंक्ति में खड़े लोगों में, आखरी मतदाता से प्रारम्भ करते हुए, अपनी हस्ताक्षर वाली पर्चियां बांटते चले जाएं। उसके बाद किसी भी व्यक्ति को पंक्ति में खड़ा न होने दें। यदि आप कुछ पर्चियां पहले से ही बनाकर तैयार रखेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। मतदान बंद होते समय जो लोग पंक्ति में शामिल हो चुके हों, उनके अतिरिक्त और किसी को बीच में न घुसने दें। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र पर तैनात सुरक्षाकर्मी को निर्देशित करें। ऐसे सभी मतदाता जिन्हें कि आपने पर्ची दी है, मतदान के अधिकारी है। उनके लिए मतदान का कार्य तब तक जारी रहेगा जब तक कि उनमें से आखरी व्यक्ति अपना मत नहीं दे देता। तत्पश्चात् आप मतदान समाप्त होने की घोषणा करें।

(3) मतदान बंद होने के समय जो मतपेटी उपयोग में आ रही थी, उसी स्थिति में सीलबंद करें। यदि कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन/मतदान अभिकर्ता उस पर अपनी सील लगाना चाहे तो उसे ऐसा करने की अनुमति दें।

****

अध्याय–10

मतदाता की पहचान के संबंध में आपत्ति (अभ्याक्षेप)

1. मतदान अधिकारी क्रमांक–1 के द्वारा उसके सामने खड़े मतदाता से संबंधित मतदाता सूची की प्रविष्टियां पढ़ने के बाद कोई भी अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन/मतदान अभिकर्ता उस मतदाता की ''पहचान'' के बाबत् आपत्ति कर सकता है। अतः मतदान अधिकारी क्रमांक–1 को प्रविष्टियां पढ़ने के बाद कुछ क्षण प्रर्तीक्षा करनी चाहिए और इस दौरान आपित्ति न उठाए जाने पर ही मतदाता सूची में उसके नाम को रेखांकित करते हुए उसकी बाए हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही का निशान लगाना चाहिए। निशान लगा देने के बाद की गई किसी आपत्ति पर विचार न किया जाए। यदि ऐसा करने से पूर्व ही आपत्ति उठा दी जाए तो पीठासीन अधिकरी को चाहिए कि वह मामले को आगे कार्यवाही हेतु अपने पास ले लें और मतदान अधिकरी क्रमांक–1 को अन्य मतदाताओं को मतपत्र देने की कार्यवाही जारी रखने को कहें।

2. किसी व्यक्ति के मतदाता होने के संबंध में की गई आपत्ति (अभ्याक्षेप) पर तभी विचार किया जायेगा जब कि आपत्तिकर्ता ऐसी आपत्ति के लिए पीठासीन अधिकारी के पास पहले नगद पांच रूपये की धनराशि जमा करे। ऐसी जमा राशि के लिए परिशिष्ट–ग्यारह के अनुसार रसीद दी जाए।

3. राशि जमा कर दिए जाने पर अभ्याक्षेप के संबंध में आपके द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जाए:–

(क) जिस व्यक्ति के संबंध में आपत्ति उठाई गई है, उसे प्रतिरूपण (पररूप धारण) करने के लिए (अर्थात जो वह नहीं है वह बताने के लिए) यह चेतावनी दें कि ऐसा कृत्य भारतीय दण्ड विधान की धरा 171–एफ के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।

(ख) मतदाता सूची की प्रविष्टियों को पूरी तरह पढ़कर सुनाए और उस व्यक्ति से यह पूछे कि क्या वह वही व्यक्ति है? यदि वह हां कहे तो उसका नाम और पता ''अभ्याक्षेपित मतों की सूची'' परिशिष्ट–तेरह (प्ररूप–15) में दर्ज करें तथा उसे, उसमें अपने हस्ताक्षर करने या अंगूठे का निशान लगाने को कहें।

(ग) उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात् आप आपत्ति (अभ्याक्षेप) के संबंध में निम्नानुसार संक्षिप्त जांच करें:–

(i) आपत्तिकर्ता ने जिस व्यक्ति के संबंध में आपत्ति उठाई गई है, उसके वह न होने के बारे में तथ्य या साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहे।

(ii) जिस व्यक्ति के बारे में आपत्ति उठाई गई है उससे वही होने के बारे में तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहें। इस हेतु अपने समाधान

के लिये उससे आवश्यक प्रश्न पूछें जैसे कि वह उस वार्ड में कब से रह रहा है, क्या करता है, उसके रिश्तेदार और पड़ौसी कौन हैं, वार्ड के प्रमुख व्यक्ति कौन-कौन हैं, आदि।

(iii) पक्ष-विपक्ष में साक्ष्य देने के लिए उपलब्ध/ उपस्थित अन्य किसी व्यक्ति से भी आप पूछताछ कर सकते है।

(iv) उपर्युक्त पूछताछ आप शपथ पर बयान लेकर कर सकते है।

(v) जांच करने बाद यदि आप उठाई गई आपत्ति (अभ्याक्षेप) को सही होना पाएं तो संबंधित व्यक्ति को मतपत्र न दें और आपत्तिकर्ता को, उसके द्वारा जमा की गई राशि लौटा दें। साथ ही आप **परिशिष्ट-चौदह** में एक रिपोर्ट, संबंधित थाने के थाना प्रभारी को ऐसा प्रतिरूपण करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए मतदान केन्द्र पर तैनात पुलिस/सुरक्षाकर्मी के हाथ भेजें और प्रतिरूपण करने वाले व्यक्ति को उसके सुपुर्द कर दें। इसका उल्लेख पीठासीन अधिकारी की डायरी में यथास्थान विवरण सहित अंकित करें।

(vi) जांच करने के बाद यदि आप उठाई गई आपत्ति (अभ्याक्षेप) को सिद्ध होना न पाएं तो संबंधित व्यक्ति को मतदान के लिए अनुमति देते हुए, उसे उसी तरह मतपत्र दें जैसे किसी अन्य मतदाता को दिया जाता हैं साथ ही आप आपत्तिकर्ता द्वारा जमा की गई राशि शासन के पक्ष में जप्त करने के आदेश दें।

****

अध्याय–11

निविदत्त मतपत्र

1. यदि कोई व्यक्ति स्वयं को मतदाता बताते हुए मतपत्र की मांग करें और मतदाता सूची के अवलोकन से यह ज्ञात हो कि उस नाम से कोई अन्य व्यक्ति पहले ही मतदान कर चुका है तो आप उससे इस आशय के कुछ प्रश्न पूछें जिससे आपको संतुष्टि हो जाए कि वह वास्तव में सही मतदाता है। ऐसा व्यक्ति मतपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा। अतः उसे आप मतपत्र जारी करवाएं परन्तु उसके मतपत्र को, मतांकन के बाद, मतपेटी में नहीं डाला जाएगा। ऐसे प्रत्येक मतपत्र को, जिसे कि निविदत्त मतपत्र (टेन्डर्ड बैलेट पेपर) कहते हैं, आप अपनी सुपुर्दगी में ले लें। ऐसे मतपत्रों को आप इस प्रयोजन के लिए अलग से दिये गए लिफाफों में रखें। **महापौर/अध्यक्ष तथा पार्षद के निर्वाचन से संबंधित निविदत्त मतपत्रों को अलग–अलग लिफाफों में रखने का ध्यान रखें।** मतदान की समाप्ति पर निविदत्त मतपत्रों के लिफाफों को सीलबंद करें।

2. निविदत्त मतपत्र, मतपत्रों की आखरी गड्डी में से अंतिम क्रमांक की ओर से जारी किया जाए। मतपत्र लेखा तैयार करने में सुविधा की दृष्टि से ऐसा किया जाना वांछनीय है। जिस व्यक्ति को निविदत्त मतपत्र दें उससे निविदत्त मतपत्रों की सूची **परिशिष्ट–पंद्रह** (प्ररूप–17) में संगत प्रविष्टि के सामने उसके हस्ताक्षर लें या अंगूठे का निशान लगवाएं।

3. निविदत्त मतपत्रों के अनुक्रमांक तथा संख्या मतपत्र लेखा **(परिशिष्ट–सत्रह)** (प्ररूप–18) के खाना क्रमांक 4 (ख) में अंकित किए जाएंगे। यदि कोई निविदत्त मतपत्र जारी नहीं किया गया है तो यह प्रविष्टि निरंक रहेगी।

****

अध्याय–12

मतदान केन्द्र पर एवं उसके आसपास व्यवस्था संबंधी कानूनी प्रावधान

मतदान केन्द्र के भीतर अथवा उसके आस–पास होने वाली किसी प्रकार की गड़बड़ी या अव्यवस्था से निपटने में दृढ़ता, निष्पक्षता तथा कनूनी प्रावधानों का ज्ञान आपके बड़े काम आएगा। सभी अभ्यर्थियों से एक सा व्यवहार करें तथा प्रत्येक मामले को, जो कि विवादास्पद हो विधि के प्रावधानों के प्ररिप्रेक्ष्य में निष्पक्षता एवं न्यायपूर्ण ढंग से निपटायें। छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 में मतदान केन्द्र के भीतर तथा आस–पास व्यवस्था बनाए रखने कि लिए जो प्रावधान है, उनके अंतर्गत आपको पर्याप्त अधिकार प्राप्त है। साथ ही, आपके तथा आपके सहयोगी मतदान अधिकारियों के उपर कुछ प्रतिबंध भी है। इस अधिनियम के कतिपय महत्वपूर्ण प्रावधानों का उद्धरण **परिशिष्ट–पांच** में हैं। इनका सावधानी से अध्ययन करें। सरल शब्दों में ये प्रावधान निम्नांकित है:–

(1) निर्वाचन कार्य से संबंधित कर्मचारियों से अपेक्षित आचरण का उल्लघन:

निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम की धारा 5 में यह प्रावधान हैं कि निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ा कोई पदाधिकारी या कमचारी (अपना मत देने के अतिरिक्त) ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो किसी अभ्यर्थी की चुनाव संभावना को पक्ष या विपक्ष में प्रभावित करे। ऐसा करने पर छः माह तक की सजा का प्रावधान है।

(2) निर्वाचन संबंधी कर्तव्यों का पालन तथा मतदान की गोपनीयता बनाये रखना

धारा 13 के अनुसार यदि निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ा कोई पदाधिकरी या कर्मचारी निर्वाचन से संबंधित किसी शासकीय कर्तव्य का उल्लंघन करता है अथवा धारा 14 के अनुसार यदि मतदान की गोपनीयता भंग करता है तो क्रमशः रूपये 500/– के जुर्माने एवं तीन माह तक के कारवास एवं या जुर्माना के दण्ड से दण्डित होने का पात्र होगा।

(3) मतदान केन्द्र के पास प्रचार पर रोक:

अधिनियम की धारा 6 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि मतदान के दिनांक को मतदान केन्द्र के अन्दर एवं मतदान केन्द्र से 100 मीटर की दूरी के भीतर किसी मार्ग, सड़क गली या खुले स्थान में चुनाव प्रचार करना अपराध है तथा ऐसा करने वाले को पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है।

(4) अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव कैम्प लगाये जाने पर प्रतिबंध:

अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत अभ्यर्थियों, उनके अभिकर्ता और उनके समर्थकों/कार्यकर्ताओं को मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर चुनाव कैम्प लगाने की

स्वतंत्रता नहीं है, क्योकि ऐसे चुनाव कैम्पों से स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना रहती है। अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत मतदान केन्द्र से 100 मीटर के अन्दर मतो के लिए याचना (केनवासिंग) निषिद्ध है और यदि इस प्रावधान का उल्लंघन होता है तो आप इसकी सूचना कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तरदायी पुलिस अधिकारियों को दें।

(5) गड़बड़ी करने वाले व्यक्तियों को हटाया जाना:

यदि किसी मतदान केन्द्र के समीप या उसके अन्दर किसी व्यक्ति द्वारा असंयत आचरण कर गड़बड़ी फैलाने की काशिश की जाए या ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जाय तो आप ऐसे व्यक्ति को मतदान केन्द्र से हटाये जाने या ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग रोकने के लिए ड्यूटी पर तैनात किसी पुलिस अधिकारी को अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत निर्देशित कर सकते है। इन अधिकारों का उपयोग सामान्यतया तभी किया जाना चाहिए जब समझाने या चेतावनी देने का असर न हो। ध्वनि विस्तारक यंत्र कितनी दूरी पर लगाया जा सकता है इसके लिए विधि में सीमा नियत नहीं है। इस बात का निर्णय आपको करना है कि क्या ध्वनि विस्तारक यंत्र से (वह कहीं भी क्यों न लगा हो) मतदान की कार्यवाही में व्यवधान हो रहा है या नहीं।

(6) केन्द्र के अन्दर निर्देशों की अवज्ञा करना:

मतदान केन्द्र के भीतर प्रत्येक व्यक्ति आपके विधि संगत निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है एवं किसी भी प्रकार की अवज्ञा पर प्रतिषेध है। अवज्ञा करने पर अधिनियम धारा 8 के अनुसार आप ऐसे व्यक्ति को मतदान केन्द्र से हटा सकते है और यदि वह पुन: प्रवेश करे तो गिरफ्तार करवा सकते है।

(7) मतदान केन्द्र से मतपत्रों को अन्यत्र ले जाना:

अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत मतदान केन्द्र से मतपत्र को कपटपूर्वक बाहर ले जाना या बाहर ले जाने का प्रयत्न करना या ऐसे कृत्य को करने की जानबूझकर दुष्प्रेरणा करना प्रतिषिद्ध है ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही के लिए आप तत्काल स्थानीय पुलिस अधिकारी को निर्देश दे सकते है। यदि आपको विश्वास है कि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध कर रहा है या कर चुका है तो मतदान केन्द्र के बाहर जाने से पूर्व उसे गिरफतार करने के लिए भी किसी पुलिस अधिकारी को निर्देश दे सकते हैं। आप ऐसे व्यक्ति की तलाशी भी करा सकते हैं किन्तु यह ध्यान रखें कि जब किसी स्त्री की तलाशी लेना आवश्यक हो तो उसकी तलाशी किसी अन्य स्त्री द्वारा ही, शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए, कराई जाए।

(8) मतदान केन्द्र पर लगी हुई किसी सूचना को नष्ट करना या बिगाड़ना :

अधिनियम की धारा 11 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र पर लगी हुई किसी सूचना या सूची को नष्ट या विरूपित करे या अवैध रूप से किसी को मतपत्र दे या मतपत्र प्राप्त करे, मतपेटी में मतपत्र से भिन्न कोई वस्तु डाले या मतपेटी को नष्ट करे या बिना प्राधिकार के मतपेटी खोले एवं ऊपर अंकित कृत्यों में से किसी भी कृत्य को करने

का प्रयास भी करे तो वह निर्वाचन से समयबद्ध कर्मचारी होने पर दो वर्ष तक के कारावास और अन्य व्यक्ति होने पर पांच माह तक के कारवास से दण्डित किया जा सकता है। आपके ज्ञान में यदि कोई ऐसा प्रकरण आता है तो आप पूरे तथ्यों के साथ उसकी रिपोर्ट तत्काल स्थानीय पुलिस स्टेशन आफिसर को करें।

(9) बूथ का बलात् ग्रहण :

अधिनियम की धारा 14–घ के अनुसार बूथ (अर्थात् मतदान केन्द्र) के बलात् ग्रहण के लिए 2 वर्ष तक की सजा (परन्तु किसी भी दशा में 6 माह से कम की नहीं) और जुर्माने का दण्ड दिये जाने का प्रावधान है। बूथ के बलात ग्रहण से आशय है मतदान केन्द्र पर बलात् कब्जा करना, मतपत्र छीनना या उन्हें समर्पित करने के लिए केन्द्र पर तैनात कर्मचारियों को बाध्य करना, केवल अपने समर्थकों से मतदान कराना तथा अन्य लोगों को मतदान में भाग लेने से रोकना, मतदाताओं को डराना–धमकाना तथा मतदान केन्द्र में जाने से मना करना तथा सरकार की सेवा में नियोजित किसी व्यक्ति द्वारा उपरोक्त कृत्य में किसी तरह की सहायता या मौन अनुमति दिया जाना। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सहायता से इस प्रकार का अपराध घटित होता है तो उस सरकारी कर्मचारी के लिए सजा 3 वर्ष के कारावास (परन्तु किसी भी हालत में एक वर्ष से कम नहीं) तथा जुर्माने का प्रावधान है। यदि आपके मतदान केन्द्र में ऐसी कोई घटना घटित होती है तो आप तत्काल पूरे तथ्यों के साथ उसकी रिपोर्ट स्थानीय पुलिस स्टेशन आफिसर को करें।

2. मतदान के दौरान संभावित अपरोक्त अपराधों के अतिरिक्त भारतीय दण्ड विधान (आई.पी.सी.) के अंतर्गत भी ऐसे किसी व्यक्ति के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जा सकती है जो किसी दूसरे मतदाता के नाम का उपयोग कर मताधिकार का प्रयोग करे या करने का प्रयास करे। ऐसी शंका होने पर आप संबंधित व्यक्तिको तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन आफिसर को सौप सकते हैं।

3. आप यह ध्यान रखें कि आपकी मुख्य जिम्मेदारी मतदान केन्द्र पर व्यवस्थित ढंग से मतदान का संचालन करना है। मतदान केन्द्र से बाहर होने वाली घटनाओं या उनके बारे में की जाने वाली शिकायतों की जांच में आपको उलझने की जरूरत नहीं हैं। ऐसी शिकायतों का निराकरण आपसे अपेक्षित नहीं है। यदि इस प्रकार की कोई शिकायत आपको की जाए तो आप शिकायतकर्ता को संबंधित पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करने की समझाइश दें।

4. छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 की धारा 5, 13, 14, तथा 14–घ के, उक्त प्रावधानों से, आप विशेष तौर पर मतदान केन्द्र पर तैनात अपने सहयोगी कमचारियों को अवगत करा दें।

****

अध्याय–13

आपात स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही: मतदान स्थगित करना

1. यद्यपि मतदान सुचारू रूप से संपन्न हो इसके लिए सुरक्षा सहित सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती है, फिर भी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो सकती है, जिनमें कि मतदान की कार्यवाही जारी रखना संभव न हो। मतदान केन्द्र पर खुली हिंसा, बलवे आदि के कारण या किसी प्राकृतिक आपदा जैसे कि आग, तेज आंधी, बारिश आदि के कारण मतदान की कार्यवाही में व्यवधान हो सकता है।

2. यदि बलवा या हिंसा हो जाये अथवा होने की संभावना हो तो सुरक्षा हेतु नियुक्त पुलिस कर्मियों को स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए कहें। यदि प्रयास के बाद भी तनाव या अव्यवस्था की ऐसी स्थिति निर्मित हो जाए जिसमें मतदान आगे जारी रखना संभव न हो तो आपको मतदान रोक देना चाहिए और इस आशय की औपचारिक घोषणा सभी उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष करनी चाहिए। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में भी यदि मतदान चालू रखना संभव प्रतीत न हो तो मतदान बंद कर देना चाहिए और उपरोक्तानुसार ही उसकी भी औपचारिक घोषणा करनी चाहिए। मात्र अल्पकालिक वर्षा या तेज हवा का चलना मतदान स्थगित करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं हो सकता।

3. मतदान स्थगित करने पर तत्काल निम्नांकित कार्यवाही करें:–

(1) रिर्टर्निंग आफिसर का मामले के पूरे विवरण के साथ तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजें। इस रिपोर्ट में न केवल घटना के तथ्यों/परिस्थितियों का सुस्पष्ट वर्णन करें बल्कि आपके एवं मौके पर उपस्थित अन्य व्यक्तियों के द्वारा किये गये प्रयासों की संक्षिप्त जानकारी भी दें।

(2) मतपेटी को (जिसमें कि मतदान रोकने के समय तक मतपत्र डाले जा चुके थे) ठीक उसी प्रकार सील कर दें जिस प्रकार सामान्य परिस्थितियों में मतदान पूर्ण होने के पश्चात् किया जाता है। इस मतपेटी को पूर्व की मतपत्रों से भरी तथा सील की गई मतपेटी के साथ (यदि कोई हो, तो) सुरक्षित रख दें। वस्तुतः आपको मतपत्र लेखा तैयार करने, अन्य पैकेट सीलबंद करने तथा मतपेटियों, पैकेटों आदि को रिटर्निंग आफिसर को सौपने की कार्यवाहियां, यथासाध्य, ठीक उसी प्रकार करनी होगी जैसी कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न होने के उपरान्त की जाती है।

(3) मतदान स्थगित करने की औपचारिक घोषणा की सूचना, **परिशिष्ट–सोलह** में दो प्रतियों में तैयार की जाए। एक प्रति पर मतदान केन्द्र में उपस्थित अभ्यार्थियों या उनके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराकर उसे अपने अभिलेख में शामिल करें तथा दूसरी प्रति केन्द्र पर सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रदर्शित (चस्पा) करें।

4. मतदान स्थगित करने के संबंध में आपको दिये गये विशेषाधिकार का प्रयोग केवल उन्हीं परिस्थितियों में किया जाना चाहिए जबकि मतदान चालू रखना वस्तुतः असंभव हो जाए।

5. पुर्नमतदान की कार्यवाही:

उपरोक्तानुसार स्थगित किया गया मतदान जब राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार पुनः प्रारंभ किया जावे तो आपको रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतदाता सूची की चिन्हांकित प्रति (अर्थात मतदान अधिकारी क्रमांक–1 के पास वाली सूची) का सीलबंद लिफाफा पुनः दिया जाएगा। साथ में रिटर्निंग आफिसर द्वारा आपको एक नई मतपेटी तथा अन्य आवश्यक सामग्री दी जाएगी। मतदान पुनः प्रारंभ करने के तत्समय उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के समक्ष आप मतदाता सूची की चिन्हांकित प्रति का सीलबंद लिफाफा खोलें और उसके आधार पर आगे मतदान कराएं। उन मदातओं को जिन्होने मतदान स्थगित किए जाने के पहले मतदान कर दिया था, फिर से मत देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रकार कराए गए पुनर्मतदान के मामले में, मतदान के पूर्व, मतदान के दौरान और मतदान की समाप्ति के उपरान्त की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां ठीक उसी प्रकार से की जाएंगी जैसे कि समान्य परिस्थितियों में कराए जाने वाले मतदान के लिए की जाती है।

6. मतदान विकृत हो जाने की स्थिति में कार्यवाही:

(1) मतदान केन्द्र पर बलवा, हिंसा, उपद्रव या बलपूर्वक कब्जा किये जाने (बूथ कैप्चरिंग) की स्थिति में यदि उपद्रवी तथ्वों द्वारा उपयोग में लाई गई मतपेटियों को नष्ट करने, फैंक देने या उनकी सील तोड़ देने या उन्हें आपके नियंत्रण से छीनकर बाहर ले जाने का कृत्य किया जाए या कोरे मतपत्र छीनकर उन पर मोहर लगाकर मतपेटी में डाल दिये जाएं या मतदाता सूची की चिन्हांकित प्रति फाड़ दी जाए तो आपके मतदान केन्द्र पर मतदान का परिणाम अभिनिश्चित करना संभव नहीं होगा। यह भी हो सकता है कि मतदान केन्द्र में आपके दल के किसी सदस्य की गम्भीर असावधानी के कारण प्रक्रिया संबंधी कोई ऐसी गलती या अनियमितता हो जावे जिससे कि मतदान दूषित हो जाए। ऐसी परिस्थितियों में आपको चाहिए कि आप मतदान स्थगित कर दें और तुरन्त, संपूर्ण तथ्यात्मक विवरण दर्शाते हुए, एक प्रतिवेदन रिटर्निंग आफिसर को भेजें।

इस प्रकार स्थगित किये गये मतदान के बारे में कंडिका–3 में उल्लेखित निर्देशों के अनुसार मतदान स्थगन की घोषणा करें तथा उसकी सूचना **परिशिष्ट–सोलह** में दो प्रतियों में तैयार करें। एक प्रति पर मतदान केन्द्र में उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराकर अपने पास रख लें तथा दूसरी प्रति केन्द्र पर सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रदर्शित (चस्पा) करें।

(2) उपयुक्त परिस्थितियों में स्थगित किया गया मतदान राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् नए सिरे से कराया जायेगा और इसके लिए आपको रिटर्निंग आफिसर द्वारा समस्त सामग्री पुनः उपलब्ध कराई जायेगी।

****

अध्याय–14

मतदान की समाप्ति के बाद की कार्यवाहियां

मतदान समाप्ति पर तथा मतपेटी सील करने के पश्चात् निम्नांकित कार्यवाहियां करें:–

1. मतपत्र लेखा तैयार करना:

(1) मतपत्र लेखा एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिससे यह ज्ञात होता है कि पीठासीन अधिकारी को दिये गये मतपत्रों में से कितने मतपत्रों का मतदान में उपयोग हुआ, कितने बचे रहे और मतपेटी में कितने मतपत्र होने चाहिए? **पार्षद तथा महापौर/अध्यक्ष के लिए अलग–अलग मतपत्र लेखा तैयार** किए जाएंगे।

(2) मतपत्र लेखा, प्ररूप–18 के भाग–1 में तैयार किया जाएगा, जो कि **परिशिष्ट–सत्रह** में उद्घृत है। इस प्ररूप की प्रारंभिक पंक्तियों में नगर निगम/नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत का नाम लिखा जाए और पार्षद के निर्वाचन से सम्बन्धित मतपत्र लेखा में वार्ड– क्रमांक भरा जाए। तत्पश्चात् मतदान केन्द्र का क्रमांक और स्थान/भवन जहां वह स्थित है का नाम भरा जाए। इन्हें भरने के बाद निम्नानुसार अन्य प्रविष्टियां भरी जाएं:–

(i) सरल क्रमांक–1 में आपको प्राप्त कुल मतपत्रों की संख्या लिखें।''अनुक्रमांक'' के कालम में आप 50–50 या 10–10 की गड्डियों (जैसी भी स्थिति हो) में प्राप्त मतपत्रों के प्रथम व अंतिम अनुक्रमांक लिखते हुए सामने कुल संख्या लिख दें। फिर सभी का योग ''कुल संख्या'' के कालम में नीचे लिखें।

(ii) सरल क्रमांक–2 में उपयोग में न लाए गये मतपत्रों की संख्या लिखी जानी है। यहां आप उन मतपत्रों की संख्या लिखें जो मतदान समाप्ति के बाद आपके पास शेष रह गए है, चाहे उनके पृष्ठ भाग पर सुभेदक मोहर लगी हो या नही और चाहे उन पर आपने हस्ताक्षर किए हों या नहीं। यह विवरण भी दो या तीन लाइनों में शेष रहे मतपत्रों के अनुक्रमांक (प्रथम व अंतिम) दर्शाते हुए तथा सामने संख्या लिखते हुए अंत में ''कुल संख्या'' के कालम में मतपत्रों की संख्या का योग लिखकर पूर्ण करें।

(iii) सरल क्रमांक–3 में आपको अनुक्रमांक के नीचे कुछ नहीं लिखना है तथा ''कुल संख्या'' के नीचे सरल क्रमांक–1 और 2 की कुल संख्या का अंतर लिखना है।

(iv) सरल क्रमांक–4 में आपको उन मतपत्रों का हिसाब देना है जो कि प्रयोग में तो लाए गए है (अर्थात् सरल क्रमांक–3 में सम्मिलित है।) परन्तु मतदाताओं द्वारा मतपेटी में नहीं डाले गए है। इसके भाग (क) में मुद्रण या लेखन की

त्रुटि के कारण रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या तथा भाग (ख) में निविदत्त मतपत्रों की संख्या दर्शाई जाए। भाग (ग) में उन मतपत्रों की संख्या बाताई जाए जो कि उपरोक्त दो कारणों को छोड़कर अन्य कारणों से रद्द किए गए है, जैसे कि मतदाता की असावधानी के कारण रद्द किए गये मतपत्र, मतपत्र प्राप्त करने के बाद, मत न डालने का निश्चय करने वाले मतदाताओं द्वारा लौटा दिए जाने के कारण रद्द किए गए मतपत्र तथा जारी होने के बाद मतपेटी में न डाले गये और मतदान केन्द्र में या उसके निकट में पाए गए मतपत्र।

(v) सरल क्रमांक-5 में ''कुल संख्या के नीचे सरल क्रमांक-3 और 4 अंतर लिखा जाए।

(3) उदाहरण.- यदि आपको 50 मतपत्रों की उन्नीस गड्डियां और 10 मतपत्रों की दो गड्डियां इस प्रकार कुल 970 मतपत्र दिए गए हैं, तो सरल क्रमांक-1 में आप निम्नानुसार प्रविष्टि करेंगे:

1.	पीठासीन आधिकारी द्वारा	001051 से	002000	950
	मतपत्रों की संख्या	002241 से	002260	20
			योग . .	970

मान लें, मतदान समाप्ति के पश्चात आपके पास 31 मतपत्र शेष रहते हैं। आप इन मतपत्रों के अनुक्रमांकों को देख लें। उनके अनुसार सरल क्रमांक-2 में उपयोग में न लाए गए मतपत्रों की प्रविष्टि निम्नानुसार की जाएगी:-

2.	उपयोग में न लाए गए	001972 से	002000	29
	मतपत्रों की संख्या	002258 से	002259	02
			योग . .	31

अब सरल क्रमांक-3 में प्रविष्टि निम्नानुसार होगी:-

3.	मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या (1-2=3)	970	(-)	31 =	939

मतपत्र लेखा के सरल क्रमांक (4) में उन मतपत्रों का उल्लेख किया जाएगा जो मतदान केन्द्र में उपयोग में तो लाए गए, परन्तु जिन्हें मतपेटी में नहीं डाला गया। मान लीजिए कि मतपत्र क्रमांक 001173 मुद्रण की त्रुटि के कारण तथा क्रमांक 001574 मतदाता द्वारा लौटा दिए जाने के कारण रद्द किए गए है और मतपत्र क्रमांक 002260 (अन्तिम मतपत्र) ''निविदत्त'' है। तब सरल क्रमांक-4 में प्रविष्टियां निम्नानुसार भरी जाएंगी:-

4. मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाये गये, किन्तु मतपेटी में नहीं डाले गये मतपत्रः-

(क) मुद्रण की त्रुटि के कारण रद्द किए गए मतपत्र	001173	–	01
(ख) निविदत्त मतपत्र	002260	–	01
(ग) रद्द किए गए मतपत्र	001574	–	01
	योग (क+ख+ग)		03

अतः सरल क्रमांक-5 में प्रविष्टि निम्नानुसार होगीः-

5. मतपेटी में डाले गए मतपत्रो की संख्या 939 – 03 = 936
योग (3-4-5)

(4) पार्षद तथा महापौर/अध्यक्ष के '' मतपत्र लेखा'' (भाग-1) की एक-एक अभिप्रमाणित प्रति मतदान बंद होते समय केन्द्र में उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को (किन्तु प्रत्येक अभ्यर्थी के केवल एक अभिकर्ता को), बिना मांगे दी जाए तथा **परिशिष्ट-अठारह** में पावती के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर भी करा लिए जाएं। यदि कोई मतदान अभिकर्ता मतपत्र लेखा की प्रति लेने से या हस्ताक्षर करने से इंकार करे तो **परिशिष्ट-अठारह** में उसके नाम के सम्मुख तदाशय की टिप्पणी अंकित कर दी जाए।

(5) पार्षद तथा महापौर/अध्यक्ष से सम्बन्धित मतपत्र लेखा अलग-अलग लिफाफों (क्रमांक-7) में रखें जाएं।

2. परिनियत लिफाफों को सील बंद करना :

(1) परिनियत लिफाफों में निम्नांकित 5 लिफाफे शामिल है और इनके महत्व को देखते हुए इन्हें सबसे पहिले सील बंद किया जाए:-

(i) **मतदाता सूची की चिन्हित प्रति.-** मतदाता सूची की चिन्हित प्रति (अर्थात् मतदान अधिकारी क्रमांक-1 द्वारा उपयोग में लाई गई मतदाता सूची, जिसमें मतदान कर चुकने वाले मतदाताओं के नाम रेखांकित एवं सही (✓) के निशान से चिन्हित किये गये है), को निर्धारित लिफाफे (क्रमांक-1) में रखकर सीलबंद किया जाए।

*(ii) **रद्द किये गये मतपत्र.-** ऐसे मतपत्रों को जिन्हें रद्द किया गया है तथा जिनका उल्लेख संबंधित मतपत्र लेखा में किया गया है, इस हेतु निर्धारित लिफाफे (क्रमांक-2) में रखकर उसे सीलबंद किया जाए।

*(iii) **निविदत्त मतपत्र और उनकी सूची.-** मतदान के दौरान जो निविदत्त मतपत्र इस हेतु निर्धारित लिफाफे (क्रमांक-3) में रखे गये थे उन्हें और उनसे

संबंधित सूची (प्ररूप–17) को इस लिफाफे में रखते हुए, सीलबंद कर दिया जाए।

*(iV) **उपयोग में लाये गए मतपत्रों के प्रतिपर्ण.**– उपयोग में लाये गये मतपत्रों के प्रतिपर्णों की गड्डियों को एक साथ, इस हेतु प्रदत्त लिफाफे (क्रमांक–4) में रखकर सीलबंद किया जाए। मतदान के अन्त में उपयोग में लाई जा रही गड्डी में से, जारी किए गए मतपत्रों के प्रतिपर्णों को अलग करके तथा एक रबर बैंड से बांधकर, इसी लिफाफे (क्रमांक–4) में रखा जाए।

इस गड्डी में जो मतपत्र उपयोग में न लाए गए हों उन्हें पृथकशः एक रबर बैंड से, प्रतिपर्णों सहित बांधकर, जारी न किए गए अन्य मतपत्रों के बंडलों के साथ निर्धारित लिफाफे (क्रमांक–5) में रखा जाए।

*(V) **मतदाताओं को जारी न किए गए मतपत्र.**–ऐसे सभी मतपत्रों को जिनका उपयोग नहीं हुआ है एवं जिनकी संख्या संबंधित मतपत्र लेखा में दर्शाई गई है, एक साथ इस हेतु निर्धारित लिफाफे (क्रमांक–5) में रखा जाए एवं लिफाफे को सीलबंद किया जाए।

उपरोक्त सभी लिफाफों को सील बंद करने के पूर्व गोंद या लेई से अच्छी तरह चिपकाकर बंद कर दिया जाए।

नोट.–महापौर/अध्यक्ष तथा पार्षद के निर्वाचन से संबंधित लिफाफा क्रमांक 2,3,4 एवं 5 अलग–अलग रहेंगे।

(2) उपरोक्त परिनियत लिफाफों पर यदि कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन/मतदान अभिकर्ता भी अपनी सील लगाना चाहे, तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाए।

(3) परिनियत लिफाफों को एक साथ लपेटकर सीलबंद करना:–

उपर्युक्त सभी परिनियत लिफाफों को इस हेतु प्रदत्त बड़ी शीट (क्रमांक–1) में लपेटें और शीट को किनारों पर चिपकाकर सुतली से चारों ओर लपेटकर सील करें।

3. अन्य कागज–पत्रों का बन्द करना:

मतदान से संबंधित निम्नांकित विविध कागज– पत्रों को अलग–अलग लिफाफों मे रखते हुए उन्हें बन्द करें:–

(1) अभ्याक्षेपित मतो की सूची,

(2) प्रतिरूपण के मामले में पुलिस को भेजी गई रिपोर्ट की प्रतिलिपि,

(3) मतदाता सूची की अन्य प्रतियां,

(4) मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति–पत्र और उनके द्वारा की गई घोषणाएं,

(5) अंधे तथा शिथिलांग मतदाताओं के साथियों द्वारा की गई घोषणाएं,

(6) अन्य विविध कागजात, उनकी सूची के साथ.

उपरोक्त सब लिफाफों को एक बड़े आकार के विविध लिफाफे (क्रमांक-9) में रखें और उसे बन्द कर दें। इस लिफाफे को सील करने की आवश्यकता नहीं है।

4. बची हुई वस्तुओं को समेटना:

मतदान कार्य के लिए दी गई निम्नांकित वस्तुओं को समेटकर एक थैली मे रखें:-

(1) पुशर (मतपत्रों को दबाने के लिए),

(2) धारदार धातु की पट्टी (मतपत्रों को प्रतिपर्णो से अलग करने के लिए),

(3) घुमते हुए तीरों के चिन्ह वाली रबर की मोहर (मतांकन के लिए)

(4) ब्रास सील (पीठासीन अधिकारी के उपयोग के लिए),

(5) मतदान केन्द्र की (रबर की) सुभेदक मोहर,

(6) स्टाम्पपैड

(7) अमिट स्याही की शीशी,

नोट.-शीशी को थैली में रखने के पूर्व स्याही की टपकन/रिसन रोकने के लिए शीशी के ''स्टॉपर'' पर पिघला हुआ मोम डालकर उसे अच्छी तरह बंद कर दिया जाए।

(8) पीठासीन अधिकारी की मार्गदर्शिका (पुस्तक)

(9) अन्य वस्तुएं।

5. गलत अभ्याक्षेप के लिए जप्त की गई राशि:

किसी मतदाता की पहचान को गलत चुनौती देने के कारण जप्त की गई राशि तथा उससे संबंधित रसीदों की प्रतिलिपियां एक पृथक लिफाफे में डालकर उसे संभालकर रखें। इसे बाद में निर्वाचन संचालन केन्द्र में काउन्टर क्रमांक-2 पर जमा कराया जाना होगा।

6. पीठासीन अधिकारी की डायरी लिखना:

उपरोक्त कार्यवाही यथाशक्य शीघ्रता से पूरा करने के उपरान्त, पीठासीन अधिकारी की डायरी (परिशिष्ट-उन्नीस) लिखें। डायरी लिखने के संबंध में अनुदेश अगले अध्याय (क्रमांक-15) में दिए गये है। डायरी को लिफाफे (क्रमांक-8) में रखकर उसे बन्द कर दें।

7. मतपेटियों को कपड़े की थैलियों में बन्द कर सील किया जाना:

उपयोग मे लाई गई तथा मतपत्रों से भरी मतपेटी/ मतपेटियों को कपड़े की थैली/ थैलियों में रखकर बन्द किया जाए। थैली मे लगी डोरी को खींचकर उपरी हिस्से में गठान लगाकर कस दें और उसे 2-3 बार घुमाकर एक दूसरे से मिली हुई कुछ गांठें लगा दें

जिससे बगैर सील तोड़े गांठ न खोली जा सके। उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं से कहें कि वे भी यदि चाहें तो अपनी सील लगा सकते हैं। थैली के उपरी हिस्से पर भी पते की चिट (एड्रेस टैग) अच्छी तरह बांध दें।

टिप्पणी.–सीलबंद मतपेटी को कपड़े की जिस थैली में रखा जाए उस पर स्याही से या रबर स्टाम्प से या अन्यथा कुछ भी नहीं लिखा जाना चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है ताकि थैली भविष्य में उपयोग के लिये अनुपयुक्त न हो जाए। यदि कुछ लिखना अपरिहार्य हो तो वह पते की चिट पर लिखा जाए।

*****

अध्याय–15

पीठासीन अधिकारी की डायरी

पीठासीन अधिकारी की डायरी, मतदान तथा मतगणना से संबंधित तथ्यों एवं महत्वपूर्ण घटनाओं की प्रामाणिक जानकारी के एक स्रोत के रूप में बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। डायरी, **परिशिष्ट–उन्नीस** में दिये गये प्ररूप में लिखी जायेगी, जो कि आपको मतदान सामग्री के साथ दिया जाएगा।

डायरी लिखने के लिए मतदान समाप्त होने की प्रतीक्षा न करें। कुछ जानकारी ऐसी है जो घटनाओं के साथ ही अंकित की जा सकती है और कुछ जानकारी (विशेष तौर पर सांख्यिकी स्वरूप की जानकारी), जैसे कि मतदाता और उनमें पुरूष और महिलाओं की संख्या आदि, मतदान के दौरान कभी भी लिखी जा सकती है।

2. डायरी में समाविष्ट निम्नांकित प्रविष्टियों को भरने में उनके समक्ष अंकित बातों का ध्यान रखें:-

(1) **बिन्दु क्रं. 5.**–मतपेटी पर उत्कीर्ण क्रमांक से अभिप्राय उस क्रमांक या नंबर से है जो मतपेटी पर, उसकी पहचान स्थापित करने के लिए, अक्षर/अंकों में उत्कीर्ण है। इसे सावधानी से देखें और जैसा क्रमांक उत्कीर्ण है, उसको वैसा ही लिखें।

(2) **बिन्दु क्रं. 7.**–इस तालिका मे उपस्थित अभ्यार्थियों एवं उनके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ताओं की कुल संख्या दर्शायी जानी है, उनके नामों का उल्लेख नहीं किया जाना है.

(3) **बिन्दु क्रं 12.**– यदि किसी कारण से मतदान स्थगित करना पड़ा हो तो इस स्थान में उसका उल्लेख कर देना भर पर्याप्त नहीं है। आपको ऐसी घटना संबंध में पृथकशः एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर उसे डायरी के साथ संलग्न करना चाहिए।

(4) **बिन्दु क्रं. 14.**– इस स्थान में आपको मतदान केन्द्र पर घटी प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना या बातों का जैसे कि झगड़ा या मारपीट, निर्वाचन अपराध, प्रेक्षक का आगमन आदि का संक्षिप्त उल्लेख करना चाहिए। आवश्यक होने पर, अतिरिक्त शीट का उपयोग करते हुए उसे डायरी के साथ संलग्न कर देना चाहिए।

3. डायरी लिखने के पश्चात उसे निर्धारित लिफाफे (क्रमांक–8) में रखे और लिफाफा बन्द कर दें। इस लिफाफे को सील न करें ताकि सामग्री वापसी केन्द्र पर डायरी को लिफाफे में से आसानी से निकालकर देखा जा सके।

*****

अध्याय–16

मतदान दल की वापसी तथा सामग्री जमा करना

1. वापसी यात्रा:

सामान्यत: जिस मार्ग तथा वाहन से आपको मतदान केन्द्र तक पहुचाया गया था उसी से आपको वापस लाने की व्यवस्था रहेगी। वापसी यात्रा में वाहन में बैठते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपके दल का कोई मतदान अधिकारी या सुरक्षाकर्मी पीछे छूट न जाए।

2. सामग्री जमा करना:

निर्वाचन संचालन केन्द्र पर पहुंचने पर आपको विभिन्न सामग्री निम्नांकित काउन्टरों पर जमा करनी होगी:–

(1) काउन्टर क्रमांक–1

(i) सीलबंद मतपेटी/मतपेटियां

(ii) मतपत्र लेखा का लिफाफा (क्रमांक–7)

(iii) पीठासीन अधिकारी की डायरी का लिफाफा (क्रमांक–8)

(2) काउन्टर क्रमांक–2

(i) परिनियत लिफाफों का बंडल

(ii) अभ्याक्षेपित (चैलैंज्ड) मतों की जप्तशुदा राशि और उनसे सम्बन्धित रसीदों की प्रतियां

(3) काउन्टर क्रमांक–3

(i) खाली मतपेटी/ मतपेटियां
(ii) धातु की सील
(iii) रबर की मोहरें
(iv) अन्य बची हुई सामग्री
(v) विविध कागज पत्रों का लिफाफा (क्रमांक–9)
(vi) पीठासीन अधिकारियों को दी गई मार्गदर्शिका एवं अन्य पुस्तिकाएं /प्रकाशन।

काउन्टर क्रमांक–1 पर जमा कराई जाने वाली सामग्री बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप स्वयं जमा करें। काउन्टर क्रमांक 2 तथा 3 पर जमा की जाने वाली सामग्री को जमा करने का दायित्व आप अपने सहयोगी मतदान अधिकारियों को सौंपें। सामग्री जमा करने पर संबंधित काउन्टर के प्रभारी अधिकारी से रसीद प्राप्त कर लें।

समस्त सामग्री प्राधिकृत अधिकारियों को सौंपने और उनसे रसीद प्राप्त करने के बाद ही आप चुनाव ड्यूटी से मुक्त माने जाएंगे।

3. मानदेय राशि का भुगतानः

चुनाव ड्यूटी के लिए आपको देय मानदेय राशि का तत्परता से भुगतान करने के लिए एक पृथक् काउन्टर (क्रमांक–4) पर व्यवस्था रहेगी। अतः अपने निवास स्थान को लौटने के पूर्व आप तथा आपके दल के सभी अधिकारी/कर्मचारी इस काउन्टर से भुगतान प्राप्त कर लें।

****

परिशिष्ट एक

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका), सहायक रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

क्र. (1)	नगरपालिका का प्रकार (2)	रिटर्निंगआफिसर (नगरपालिका) का पद का नाम (3)	सहायक रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के पद पर नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों के पदनाम (4)
1	(i) जिला मुख्यालय के नगरपालिक निगम.	कलेक्टर (पदेन)	अपर कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर/सहायक कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/आयुक्त, नगरपालिक निगम.
	(ii) जिला मुख्यालय के बाहर के नगर पालिक निगम	अपर कलेक्टर	अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)/ सहायक कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/आयुक्त नगरपालिक निगम/तहसीलदार/अपर तहसीलदार
2.	(i) जिला मुख्यालय की नगरपालिका परिषद्	कलेक्टर (पदेन)	संयुक्त कलेक्टर/सहायक कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/मुख्य नगरपालिका अधिकारी.
	(ii) जिला मुख्यालय के बाहर के नगरपालिका परिषद्.	अपर कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/संयुक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/ सहायक कलेक्टर.	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीदार/अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त/विकासखंड अधिकारी/मुख्य नगरपालिका अधिकारी.
3.	(i) जिला मुख्यालय की नगर पंचायत	कलेक्टर (पदेन)	कलेक्टर/सयंयुक्त कलेक्टर/डिप्टीकलेक्टर/ अनुविभागीय अधिकारी/मुख्य नगरपालिका अधिकारी.
	(ii) राजस्व अनुविभाग के मुख्यालय वाली नगर पंचायत	अनुविभागीय आधिकारी (राजस्व)	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/अधीक्षक भू-अभिलेख/नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख/अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त/विकासखंड अधिकारी/मुख्य नगरपालिका अधिकारी.
	(iii) राजस्व अनुविभाग के मुख्यालय के बाहर की नगर पंचायत.	सहायक कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/तहसीलदार/अधीक्षक भू-अभिलेख.	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/अधिक्षक भू-अभिलेख/नायब तहसीलदार/सहायक अधिक्षक भू-अभिलेख/अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त/विकासखंड अधिकारी/मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

नगरपालिका निर्वाचन परिशिष्ट–दो

विहित चुनाव प्रतीकों की सूची

मुक्त प्रतीक–

भाग–1 महापौर/अध्यक्ष के लिये विहित निर्वाचन प्रतीक

क्रमांक (1)	प्रतीक (2)	क्रमांक (1)	प्रतीक (2)
1.	नल	18.	कुर्सी
2.	चाबी	19.	मटका
3.	टेबल पंखा	20.	गाड़ी
4.	कलम दवात	21.	फावड़ा और बेलचा
5.	किताब	22.	सूरजमुखी
6.	स्लेट	23.	गेंहूं की बाली
7.	बिजली का स्विच	24.	सब्जियों की टोकनी
8.	कांच का गिलास	25.	हार
9.	रेडियो	26.	अंगूठी
10.	खम्भे पर ट्यूब लाइट	27.	बैंच
11.	स्टूल	28.	गैस सिलेन्डर
12.	गैस बत्ती	29.	पीपल का पत्ता
13.	रोड रोलर	30.	हारमोनियम
14.	बस	31.	हस्तचलित पम्प
15.	सीटी	32.	हाथ चक्की
16.	प्रेशर कुकर	33.	लट्टू
17.	टेबल लैम्प	34.	मेज

भाग–2 पार्षद के लिये विहित निर्वाचन प्रतीक

क्रमांक (1)	प्रतीक (2)	क्रमांक (1)	प्रतीक (2)
1.	दो पत्तियां	15.	रेल का इंजन
2.	उगता सूरज	16.	ब्लैक बोर्ड
3.	सीढ़ी	17.	टेलीफोन
4.	पतंग	18.	टेलीविजन
5.	तराजू	19.	वायुयान
6.	छाता	20.	बरगद का पेड
7.	बिजली का बल्ब	21.	लेटर बाक्स (पत्र पेटी)
8.	छत का पंखा	22.	अलमारी
9.	ताला और चाबी	23.	हाकी और गेंद
10.	सिलाई की मशीन	24.	तीर कमान
11.	झोपड़ी	25.	दो तलवार एक ढाल
12.	नाव	26.	चश्मा
13.	स्कूटर	27.	फलों सहित नारियल का पेड़
14.	जीप		

मतदान केन्द्र की आंतरिक व्यवस्था

1. दो दरवाजे वाले कमरे के लिए व्यवस्था

चित्र

मतदान दल को दी जाने वाली सामग्री की मानक सूची

प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदान के लिए दी जाने वाली सामग्री निम्नानुसार रहेगी:–

1. मतपेटियां एवं अन्य सामग्री

(1)	मतपेटियां	1 बड़ी या 2 छोटी
(2)	सुभेदक मोहर (रबर सील)	1
(3)	अमिट स्याही की शीशी	1 (7.5 सी. सी.)/5.00 सी.सी
(4)	लचीले तार के टुकड़े	1 मीटर
(5)	सुतली	50 ग्राम
(6)	धागा/ट्वाइन	आधा गोला
(7)	मोमबत्ती	2 या अधिक (कुल वजन 75 ग्राम)
(8)	चपड़े की सलाईयां	2 या अधिक (कुल वजन 50 ग्राम)
(9)	माचिस	1
(10)	धागे के साथ सीलबंद करने के लिये 4 से.मी.×6 से.मी. आकार के मोटे (कड़े) कागज के टुकड़े	प्रत्येक मतपेटी के लिए 3+एक अतिरिक्त
(11)	आलपिन	10
(12)	पेपर सील को मतबूती देने के लिए कार्ड बोर्ड का टुकड़ा (4.0 से.मी.× 6.0 से.मी.)	1
(13)	गोंद की छोटी शीशी (या लेई बनाने के लिये आटा 50 ग्राम.)	1
(14)	पीठासीन अधिकारी की ब्रास (पीतल की) सील.	1
(15)	बैगनी स्याही का स्टाम्प पैड	1
(16)	बैगनी स्याही की छोटी शीशी या गोली	1
(17)	मतपेटी में मतपत्रों पर मतांकन के लिए घूमते तीरों के चिन्ह वाली रबर की मोहर.	2
(18)	धातु की धारदार पट्टी (मतपत्रों को प्रतिपर्णो से अलग करने के लिए) (1'' ×10'').	1

(19)	स्केल (मतपेटी में डाले मतपत्रों को दबाने के लिए पुशर के तौर पर तथा रूलर के रूप में उपयोग हेतु) (30 से. मी.लंबा स्केल या लोहे की पट्टी)	1
(20)	ब्लेड	1
(21)	चाक स्टिक्स	1
(22)	लोहे की कीलें (3 से 4 से.मी. लम्बी)	10
(23)	रबर बैण्ड	10
(24)	कपड़े की थैली	मतपेटियों की संख्या+1 (बची हुई सामग्री रखने के लिए).
(25)	कोरा कागज	
	(क) सफेद ताव	2
	(ख) भूरे ताव	1
(26)	कार्बन पेपर	2
(27)	बाल प्वाइंट पेन	3
(28)	पेंसिल	1
(29)	रबर	1
(30)	सादे कागज की सीलें(गोदरेज टाइप मतपेटियों के लिए).	2
(31)	परिनियत लिफाफों को लपेटने के लिए क्राफ्ट पेपर (कागज) की शीट.	2 महापौर/अध्यक्ष तथा पार्षद के लिए एक–एक

2. मतदाता सूची एवं मतपत्रः–

(1)	मतदान केन्द्र से संबंधित वार्ड (या उसके भाग क्रमांक) की मतदाता सूची.	3 प्रतियां
(2)	मतपत्रः (पार्षद तथा महापौर/अध्यक्ष के लिए अलग–अलग)	मतदान केन्द्र से सम्बद्ध मतदाताओं की संख्या को अगले दशांश तक पूर्ण करने पर आने वाली संख्या के बराबर।

(3) लिफाफे:-

(क) परिनियत लिफाफे:-

1.	मतदाता सूची की चिन्हित प्रति के लिए (क्रमांक-1)	1	
2.	रद्द किये गये मतपत्रों के लिए (क्रमांक-2).	2	
3.	निविदत्त मतपत्र एवं उनकी सूची के लिए (क्रमांक-3)	2	महापौर/अध्यक्ष तथा पार्षद के लिए एक-एक
4.	उपयोग में लाये गये मतपत्रों के प्रतिपर्णो के लिए. (क्रमांक-4)	2	
5.	मतदाताओं को जारी न किए गये मतपत्रों के लिये (क्रमांक-5)	2	
6.	अभ्यापेक्षित मतों की सूची के लिए (क्रमांक-6).		

(ख) अन्य लिफाफे:-

1.	मतपत्र लेखा के लिए (क्रमांक-7)	2	
2.	पीठासीन अधिकारी की डायरी के लिए (क्रमांक-8)	1	
3.	विविध कागज पत्र रखने के लिए (क्रमांक9)	2	

(4) मुद्रित प्ररूप:-

1.	अंधे तथा शिथिलांग मतदाता के साथी द्वारा घोषणा पत्र.	2 प्रतियां (कम पड़ने पर अतिरिक्क्त प्रतियां हाथ से तैयार की जाए).
2.	अभ्याक्षेपित मतों की सूची	एक प्रति
3.	प्रतिरूपण के मामले में पुलिस को भेजे जाने वाली रिपोर्ट.	2 प्रतियां (कम पड़ने पर अतिरिक्त प्रतियां हाथ से तैयार की जाए).
4.	निविदत्त मतों की सूची	2 प्रतियां (महापौर/अध्यक्ष तथा पार्षद के लिए एक-एक)
5.	मतपत्र लेखा (भाग-एक)	अभ्यर्थियों की संख्या से दो प्रतियां अधिक. (महापौर/अध्यक्ष तथा पार्षद के लिए अलग-अलग)
6.	मतपत्र लेखा की प्रतिलिपि की पावती	2 प्रतियां(महापौर/अध्यक्ष तथा पार्षद के लिए एक-एक)
7.	पीठासीन अधिकारी की डायरी	एक प्रति

(5) मुद्रित सूचनाएं (नोटिस):–

1.	मतदान केन्द्र से 100 मीटर दूरी दर्शाने वाले पोस्टर.	चार प्रतियां
2.	मतदान केन्द्र के क्षेत्र के संबंध में सूचना (जिसके मतदाता मतदान केन्द्र पर मत देने के हकदार हों)	एक प्रति
3.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (निर्वाचन प्रतीकों के साथ).	पार्षद–2प्रतियां महापौर/अध्यक्ष–2 प्रतियां

****

छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 की कतिपय महत्वपूर्ण धाराओं का उद्धहरण

निर्वाचनो में पदाधिकारी आदि उम्मीदवारों के लिए कार्य नही करेंगे और न मतदान पर प्रभाव डालेंगे।

5. (1) कोई भी व्यक्ति जो किसी निर्वाचन में निर्वाचन पदाधिकारी या पीठासीन प्राधिकारी (प्रिसाइडिंग आफिसर) या मतदान पदाधिकारी हो, या कलेक्टर या किसी स्थानीय प्रधिकरण के प्रमुख पदाधिकारी या निर्वाचन पदाधिकारी या पीठासीन या मतदान पदाधिकारी द्वारा किसी निर्वाचन के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करने के लिये नियुक्त कोई पदाधिकारी या लिपिक हो, निर्वाचन के संचालन या प्रबंध में, किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की प्रत्याशा में वृद्धि करने के लिये (मत देने के अतिरिक्त) कोई कार्य नहीं करेगा।

(2) पूर्वोक्त जैसा कोई भी व्यक्ति तथा पुलिस बल का कोई भी सदस्य–

(क) किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत देने के लिये फुसलाने का; या

(ख) किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत देने से प्रतिनिवृत करने का; या

(ग) निर्वाचन में किसी भी व्यक्ति के मतदान पर किसी प्रकार से प्रभाव डालने का प्रयत्न नहीं करेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, ऐसे कारावास से जो छः मास तक हो सकता है या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

मतदान केन्द्रों में या उनके आसपास मत याचना करने का प्रतिषेध।

6. (1) कोई भी व्यक्ति उस दिनांक या दिनाकों को जिसको या जिनको किसी मतदान केन्द्र में मतदान किया जाए, मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र से सौ मीटर की दूरी के भीतर के किसी मार्ग, सड़क, गली या खुले स्थान में निम्नलिखित कार्यों में से कोई भी कार्य नहीं करेगा, अर्थात्:–

(क) मतो के लिए याचना करना (केन्वासिंग) करना; या

(ख) किसी मतदाता के मत की प्रयाचना (सालिसिट) करना; या

(ग) किसी विशेष उम्मीदवार को मत न देने के लिए किसी मतदाता को फुसलाना; या

(घ) निर्वाचन में मत न देने के लिए किसी मतदाता को फुसलाना; या

(ड.) निर्वाचन से संबंधित (शासकीय सूचना के अतिरिक्त) किसी अन्य सूचना या चिन्ह का प्रदर्शन करना।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1)के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो दो सौ पचास रूपये तक हो सकता है।

(3) इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध प्रसंज्ञेय (काग्निजेबल) होगा।

मतदान केन्द्रों में या उनके आसपास विश्रृंखल आचरण के लिए शास्ति।

7. (1) कोई भी व्यक्ति उस दिनांक या उन दिनांको का जिसको या जिनको किसी मतदान केन्द्र में मतदान किया जाये,–

(क) मतदान केन्द्र के भीतर या उसके प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस के किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में मानव ध्वनि का विस्तारण या पुनरूत्पादन करने वाला कोई उपकरण जैसा कि ध्वनिक्षेपक (मेगाफोन) या ध्वनि विस्तारक (लाउडस्पीकर), न तो उपयोग में लायेगा और न चलायेगा; या

(ख) मतदान केन्द्र के भीतर या उसके प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस के किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में न तो चिल्लायेगा और न विश्रृंखल रीति में अन्यथा कार्य करेगा,

कि जिससे मत देने के लिये मतदान केन्द्र में जाने वाले किसी व्यक्ति को क्षोभ हो या मतदान केन्द्र के कर्तव्यारूढ़ पदाधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों के कार्यों में बाधा हो।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन में जानबूझकर सहायता या अभिप्रेरण करेगा, ऐसे कारावास से जो तीन मास तक हो सकता है, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(3) यदि किसी मतदान केन्द्र के मतदान पदाधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन, दण्डनीय कोई अपराध कर रहा है या कर चुका है तो वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए किसी पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दे सकेगा और ऐसा होने पर पुलिस पदाधिकारी उसे गिरफ्तार कर लेगा।

(4) कोई भी पुलिस पदाधिकारी ऐसे उपाय कर सकेगा और ऐसा बल प्रयोग कर सकेगा जैसा कि उपधारा (1) के उपबंधों के किसी उल्लंघन को रोकने के लिये युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो और ऐसे उल्लंघन के लिये उपयोग में लाये गये किसी उपकरण का अभिग्रहण कर सकेगा।

मतदान केन्द्र में अवचार के लिए शास्ति।

8. (1) कोई भी व्यक्ति, जो किसी मतदान केन्द्र में मतदान के लिये निश्चित किये गये घण्टों में अवचार करेगा या मतदान पदाधिकारी के विधिसंगत निर्देशों का पालन नहीं करेगा, मतदान पदाधिकारी द्वारा या किसी कर्तव्यारूढ़ पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे मतदान पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र से हटाया जा सकेगा।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जायेगा कि जिससे ऐसे मतदाता को, जिसे मतदान केन्द्र में मत देने के लिये अन्यथा हक है, उस केन्द्र में मत देने का अवसर मिलने में बाधा हो।

(3) यदि कोई भी व्यक्ति जो मतदान केन्द्र से इस प्रकार हाटाया गया हो, मतदान पदाधिकारी की अनुज्ञा के बिना मतदान केन्द्र में पुनः प्रवेश करे, तो वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन दण्डनीय अपराध प्रसंज्ञेय (काग्रिजेबल) होगा।

मतदान केन्द्र से मतपत्र हटाना अपराध होगा।

10. (1) कोई भी व्यक्ति जो किसी निर्वाचन में किसी मतदान केन्द्र से कपटपूर्वक कोई मतपत्र ले जायेगा या ले जाने की चेष्टा करेगा या किसी ऐसे कार्य के किये जाने में जानबूझकर सहायता या अभिप्रेरण करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक हो सकता है या दोनो से, दण्डनीय होगा।

(2) यदि किसी मतदान केन्द्र के मतदान पदाधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध कर रहा है या कर चुका है तो ऐसा पदाधिकारी मतदान केन्द्र से ऐसे व्यक्ति के चले जाने के पूर्व ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा या ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए किसी पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दे सकेगा और ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा या किसी पुलिस पदाधिकारी द्वारा उसकी तलाशी करा सकेगा; परन्तु जब किसी स्त्री की तलाशी कराना आवश्यक हो, तो उसकी तलाशी किसी अन्य स्त्री द्वारा शिष्टता का पूर्व ध्यान रखते हुए ली जायगी।

(3) गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लेने पर पाया गया कोई मतपत्र मतदान पदाधिकारी द्वारा पुलिस पदाधिकारी को सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सौंप दिया जावेगा या जब तलाशी पुलिस पदाधिकारी द्वारा ली गई हो, तो वह ऐसे पदाधिकारी द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध प्रसंज्ञेय (काग्निजेबल) होगा।

अन्य अपराध और उनके लिए शास्तियां।

11. (1) कोई व्यक्ति निर्वाचन अपराध का दोषी होगा, यदि किसी निर्वाचन में वह:-

(क) किसी नाम निर्देशन-पत्र को कपटपूर्वक विरूपित करे या नष्ट करें; या

(ख) निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन लगाई गई किसी सूची, सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित करे, नष्ट करें, या हटाये; या

(ग) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को कोई मतपत्र दे या किसी व्यक्ति से कोई मतपत्र प्राप्त करे या कोई मतपत्र कब्जे में रखे हो; या

(घ) किसी मतपेटी में, ऐसे मतपत्र के अतिरिक्त जिसे कि वह उसमें डालने के लिये विधि द्वारा प्राधिकृत है, अन्य कोई वस्तु कपटपूर्वक डाले; या

(ड) निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए उस समय उपयोग में लाई जाने वाली किसी मतपेटी या मतपत्र को यथोचित प्राधिकार के बिना नष्ट कर, लेंवें खोले या उसमें अन्यथा हस्तक्षेप करें; या

(च) कपटपूर्वक या सम्यक् प्राधिकार के बिना, जैसी कि दशा हो, पूर्वोक्त कार्यो में से कोई कार्य करने की चेष्टा करे या किन्हीं ऐसे कार्यों को किये जाने में जानबूझकर सहायता या अभिप्रेरण करे।

(2) इस धारा के अधीन निर्वाचन-अपराध का दोषी भी व्यक्ति-

(क) यदि वह निर्वाचन पदाधिकरी या किसी मतदान केन्द्र का मतदान पदाधिकरी या निर्वाचन के संबंध में शासकीय कर्तव्य पर नियोजित कोई अन्य पदाधिकरी या लिपिक हो तो ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा;

(ख) यदि वह कोई अन्य व्यक्ति हो तो कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक हो सकती है, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को शासकीय कर्तव्य पर समझा जायगा यदि निर्वाचन के या उसके किसी भाग के, जिसमें मतों की गणना भी सम्मिलित है संचालन में भाग लेना या ऐसे निर्वाचन के संबंध में उपयोग में लाये गये मतपत्रों तथा अन्य दस्तावेजों के लिए निर्वाचन के पश्चात उत्तरदायी रहना उसका कर्तव्य हो।

(4) उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन दण्डनीय अपराध प्रसंज्ञेय (काग्निजेबल) होगा।

निर्वाचनों के संबंध में शासकीय कर्तव्यों का भंग।

13. (1) यदि कोई व्यक्ति जिसको यह धारा लागू हो अपने शासकीय कर्तव्य को भंग करते हुए किसी कृत अथवा अकृत का, युक्तियुक्त कारण के बिना, दोषी हो, तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक हो सकता, दण्डनीय होगा।

(2) पूर्वोक्त प्रकार के किसी कृत अथवा अकृत के संबंध में हानि पूर्ति के लिए ऐसे किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी वाद या अन्य वैधिक कार्यवाही सन्धार्य नहीं होगी।

(3) जिन व्यक्तियों को यह धारा लागू होती है: निर्वाचन पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी (प्रिसाइडिंग आफिसर्स) मतदान पदाधिकारी और ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जो नामनिर्देशन-पत्र प्राप्त करने या उम्मीदवारी वापस लने या निर्वाचन में मतों के अभिलेखन या उनकी गणना के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया हो, और अभिव्यक्ति ''शासकीय कर्तव्य'' का अर्थ इस धारा के प्रयोजन के लिये तद्नुसार लगाया जायेगा, किन्तु इसमें वे कर्तव्य सम्मिलित नहीं होंगे जो, इस विधि के जिसके अधीन निर्वाचन किया गया हो, द्वारा या अधीन के अतिरिक्त अन्यथा आरोपित किए गए हों।

मतदान की गोपनीयता बनाये रखना।

14 (1) प्रत्येक पदाधिकारी, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति, जो निर्वाचन में मतों के अभिलेखन या उनकी गणना के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाये रखेगा तथा उसे बनाये रखने में सहायता देगा और किसी भी व्यक्ति को (किसी भी विधि द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन की स्थिति को छोड़कर) ऐसी कोई भी जानकारी संसूचित नहीं करेगा जिससे कि ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण होता हो।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकती है, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

बूथ के बालात ग्रहण का अपराध

14–घ जो बूथ के बलात ग्रहण का अपराध करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि छः मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा और जहां ऐसा अपराध सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां वह कारावास से,जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण.– इस धारा के प्रयोजन के लिये ''बूथ का बलात ग्रहण'' के अंतर्गत अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित सभी या उसमें से कोई क्रियाकलाप है, अर्थातः–

(क) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र या मतदान के लिये नियत स्थान का अभिग्रहण करना, मतदान प्राधिकारियो से मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना या ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो निर्वाचनों के व्यवस्थित संचालन को प्रभावित करता है;

(ख) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किसी मतदान के लिये नियत किसी स्थान को कब्जे में लेना और केवल उसके या उनके अपने समर्थकों को ही मत देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने देना और अन्यों को मतदान करने से निवारित करना;

(ग) किसी निर्वाचक को धमकी देना और उसे अपना मत देने के लिए मतदान केन्द्र या मतदान के लिये नियत स्थान पर जाने से निवारित करना;

(घ) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतदान गणना करने के स्थान का अभिग्रहण करना, मतगणना प्राधिकारियों को मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो मतों की व्यवस्थित गणना को प्रभावित करता है;

(ड) सरकार की सेवा में किसी व्यक्ति द्वारा किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं अग्रसर करने के लिये पूर्वोक्त सभी या किसी क्रियाकलाप का किया जाना या किसी ऐसे क्रियाकलाप में सहायता करना या मौनानुमति देना।

मतपेटी उपयोग में लाने संबंधी अनुदेश–गोदरेज टाइप मतपेटी

1. पेटी का खोलना.– (एक) बटन से खिड़की के ढक्कन (विण्डो कवर) को बांधने वाले तार को खोलिए।

(दो) खिड़की के ढक्कन को दाहिनी ओर घुमाइए, ताकि खिड़की पूरी तरह से खुल जाये, (जैसा की आकृति एक पर दिया गया है)।

(तीन) अपनी हथेली ऊपर की ओर रखते हुए खिड़की में एक अंगुली डालिये और उसे ब्रेकेट तक पहुंचाने के लिए ढक्कन के पेंदे में मध्य भाग तक पहुंचाये (यह ब्रेकेट आकृति 2 पर देखा जा सकता है)।

(चार) ब्रेकेट को खिड़की की ओर खींचिए, तथा बटन की बायीं ओर तब तक घुमाइए जब तक कि एक चौथाई से भी कम घुमाव के बाद यह रूक न जाय जैसा कि आकृति 2 में है। (मतपेटी अब खुल गई है और ढक्कन उठाकर अन्दरूनी भाग दिखाया जा सकता है)।

(पांच) अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को पेटी के कल–पुर्जो में गड़बड़ी डाले बिना, पेटी का निरीक्षण करने दीजिए।

2. मतदान के लिये मतपेटी का तैयार करना.– (एक) मतपेटी का ढक्कन खोलिए, खाली मतपेटी उपस्थित अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं कों दिखाईये। इसके बाद मतपेटी में पते की चिट (एड्रेस टैग) डालिए।

(दो) आपको दी गई एक कागज की सील लीजिए। ध्यान रहे कि प्रत्येक मतपेटी में एक ही कागज की सील का उपयोग किया जायेगा।

(तीन) ऐसे अभ्यर्थीयों या उनके अभिकर्ताओं द्वारा जो हस्ताक्षर करना चाहते हों, कागज की सील के एक छोर पर हस्ताक्षर करायें। आप भी हस्ताक्षर कीजिए और तारीख डालिए।

(चार) चौखटे (फ्रेम) के मध्य भाग की भीतरी दरारों में किसी एक में कागज की सील का एक सिरा डालियें।

(पांच) इसके बाद कागज की सील का प्रत्येक सिरा पीछे को घुमाइये और उस चौखटे के समानवर्ती बाहरी दरारों में डालिये, यह सुनिश्चित कीजिये कि कागज की सील का छोर खिड़की से दूर है।

(छः) कागज की सील के उस सिरे को, जिस पर हस्ताक्षर हों, लम्बा रखिये। कागज की सील को पहुचने वाली आकस्मिक क्षति या उसमें गड़बड़ करने संबंधी प्रयत्न को रोकने के उद्देश्य से कागज की सील के नीचे के चौखटे के मध्य भाग में 2–1/10'' 1–7/16'' आकार के कार्ड बोर्ड (पुठ्ठे) की गद्दी रखकर उसे मजबूत बनाईय, गद्दी पर्याप्त मोटी होनी चाहिए ताकि कागज की सील अपनी जगह यथावत बनी रहे। कागज की सील के दोनों छोरों की धार खींचकर उसकी जांच कीजिए यह बिल्कुल भी नही हिलनी चाहिए।

(सात) उसके बाद पुठ्ठे के उपरी दोंनो कोने कागज की सील और मतपेटी ढक्कन के भीतरी भाग को सील लगाकर ढक दीजिए।

(आठ) यदि कोई अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता विलम्ब से आया हो और चौखटे (फ्रेम) में डाले जाने से पहले कागज की सील पर हस्ताक्षर न कर सका हो तो यदि वह चाहे तो उसे इस समय भी कागज की सील के लम्बे भाग पर हस्ताक्षर करने या अपनी सील लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(नौ) किसी भी स्थिति में कटी–फटी कागज की सील का उपयोग मत कीजिए। यह देखिये कि कागज की सील पर किये गये मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर प्ररूप 12 में उनकी घोषणा पर किये गये उनके हस्ताक्षरो से मिलते है।

(दस) फिर मतपेटी का ढक्कन धीरे से बंद कर दीजिए और देखिए कि कागज की सील के खुले सिरे मतपेटी के भीतर हैं और सील पेटी में लटकती न रहे। बटन को दाहिनी ओर और थोड़ा–थोड़ा तब तक घुमाइये जब तक कि वह खटके के साथ रूक न जाये। अब दरार (आकृति 3 पर बताये अनुसार) मतदान के लिये सही स्थिति में पूरी तरह खुली रहेगी। बटन को और ज्यादा मत घुमाइये अन्यथा दरार बंद हो जायेगी। यदि असावधानी के कारण ऐसा हो जाये तो कागज की सील नष्ट करने के बाद मतपेटी को फिर से खोलना पड़ेगा और एक बार फिर से मतदान के लिये नई कागज की सील लगाकर तैयार करना होगा।

(ग्यारह) खिड़की के ढक्कन (विण्डो कवर) को बायीं ओर घुमाइये ताकि उससे खिड़की पूरी तरह ढक जाये खिड़की के ढक्कन के सुराग और बटन के सामने के सुराग में तार का टुकड़ा डालिये और तार के छोरों को कसकर कई बार घुमाइये, ताकि खिड़की का ढक्कन बटन के साथ मतबूती से जम जाएगा जो बाद में घुमाया न जा सके (देखिए आकृति 3) अब मतपेटी मतदान के लिये तैयार है।

1. मतदान के बाद दरार (स्लिट) बंद करना और मतपेटी पर सील लगाना:-

(एक) जिस तार से खिड़की का ढक्कन बंधा हुआ है उसे खोलिए ताकि खिड़की का ढक्कन खुल जाय, खिड़की के ढक्कन को दाहिनी ओर घुमाइये इस बात की जांच कीजिए कि कागज की सील ज्यों की त्यों लगी है।

(दो) बटन को दाहिनी ओर घुमाइये, जब तक कि वह रूक न जाये और दरार (स्लिट) को पूरी तरह से बंद न कर दें। यह जांच कर लीजिये कि इसके बाद बटन किसी भी ओर घूमता तो नही है।

(तीन) अब खिड़की के ढक्कन को बांयी ओर घुमाइये ताकि वह खिड़की को पूरी तरह से ढक दे। बटन तथा खिड़की के ढक्कन को एक साथ पकड़िये तथा खिड़की के ढक्कन के छेद सामने के बटन के छेद में एक तार पिरोकर तार के दोनों सिरों को कसकर कुछ बार मोड़ दीजिए ताकि खिड़की का ढक्कन और बटन मजबूती से बंध जाये।

(चार) बटन तथा खिड़की के ढक्कन के छेदों में एक डोरे का टुकड़ा डालिए और उसके दोनों छोरों को बटन के नजदीक कई गठानें लगाकर मजबूती से कस दीजिए। डोरे के खुले सिरों के नीचे मजबूत मोटे कागज का टुकड़ा रखिये और यथासंभव गठानों के पास ही उस पर अपनी सील लगाइये ताकि बिना सील तोड़े गांठ न खोली जा सके।

(पांच) मतदान केन्द्र की मतपेटी या मतपेटियों को ऊपर उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार बंद कर सुरक्षित कर देने के पश्चात् फीते से मतपेटी/मतपेटियों को चारों ओर से बांध दीजिए। ढक्कन पर हैण्डिल की नीचे से एक दूसरे को क्रास करते हुए एक मजबूत गांठ लगायें तथा उसके नीचे एक मोटा कागज या पुट्ठे का टुकड़ा रखकर अपनी सील लगा दें। उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं से कहें कि वे भी यदि चाहें तो अपनी सील लगाा दें या हस्ताक्षर कर दें।

(छः) मतपत्रों से भरी हुई मतपेटी/मतपेटियों को कपड़े की थैली/ थैलियों में रखकर बंद कर दिया जावे। थैली में लगी डोरी को खींचकर ऊपरी हिस्से में गठान लगाकर कस दें और उसे 2-3 बार घुमाकर एक दूसरे से मिली हुई कुछ गांठें लगा दें। डोरी की गांठों पर नीचे एक मोटे कागज का टुकड़ा रखकर प्रथम गांठ से छूती हुई अपनी सील लगा दें जिससे बगैर सील तोड़े गांठ न खोली जा सके। उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं से कहें कि वे भी यदि चाहें तो अपनी सील लगा सकते है। थैली के ऊपरी हिस्से पर भी पते की चिट (एड्रेस टैग) अच्छी तरह बांध दें।

टिप्पणी.–मतदान की समाप्ति के बाद सीलबंद मतपेटी को जिस कपड़े की थैली में रखा जाता है, उस पर स्याही से या रबर स्टाम्प से या अन्यथा रूप से कुछ भी नहीं लिखा जाना चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है ताकि कपड़े की थैलियां खराब न हो जाएं और भविष्य में उपयोग के लिये अनुपयोगी बना दी जाए। पुस्तिका में दिये गये निर्देशानुसार सभी लिखा पढ़ी पते की चिट (एड्रेस टैग) पर की जानी चाहिए। इस बात की परम सावधानी रखी जाए कि उन्हें ऐसे रूप से लगाया या चिपकाया जाए कि वे ले जाते समय निकल न जाए।

****

गोदरेज टाइप मतपेटी

चित्र

मतदान के लिए तैयार पेटी

चित्र

मतदान के बाद बंद की गई पेटी

चित्र

मध्यप्रदेश टाइप मतपेटी के उपयोग संबंधी अनुदेश

1. पेटी का खोलना.– धातु का कब्जेदार सील कवर उठाइये (देखिये आकृति 1)

(क) नीचे दिये गये उन भागों को, जो अब खुल गये है, ध्यान से देखिए (देखिए आकृति 1):–

(एक) ढक्कन बंद करने के लिए चार सुराख वाले बोल्टों पर लगी सीलों का बचाव करने वाला धातु का सील कवर;

(दो) सरका कर ढक्कन खोलने या बंद करने के लिये चार सुराखों वाला चल बोल्ट;

(तीन) पेटी को सील करने के लिये चल बोल्ट से स्थिर बोल्ट को जोड़ने के लिये चार सुराखों वाला स्थिर बोल्ट;

(चार) बंद करते समय धातु के सील कवर की सही स्थिति में रखने के लिये दो सुराखों वाला स्थिर ब्रेकेट;

(पांच) ढक्कन बंद कर लेने के बाद चार सुराखों वाले बोल्ट को पकड़े रखने के लिये घूमने वाला खटका;

(छः) दरार (स्लिट) खोलने और बंद करने के लिये एक सुराख वाली दरार नियंत्रक मुठिया;

(सात) जब दरार बंद हो, तब दरार को नियंत्रित करने वाली मुठिया से स्थिर मुठिया को जोड़ने के लिये एक सुराख वाली स्थिर मुठिया;

(आठ) जब दरार खुली हो तब दरार को नियंत्रित करने वाली मुठिया से स्थिर मुठिया को जोडने के लिये एक सुराख वाली स्थिर मुठिया;

(नौ) दरार (स्लिट)।

(ख) चार सुराख वाले चल बोल्ट को खुला छोड़ने के लिये घूमने वाले खटके को बाई और घुमाइये।

(ग) चार सुराख वाले चल बोल्ट को दरार (स्लिट) की ओर खींचियें ऐसा करने से ढक्कन का बोल्ट खुल जावेगा।

(घ) हैण्डल से ढक्कन उठाइये।

2. दरार (स्लिट) खोलना.–एक सुराख युक्त सरकने वाली दरार नियंत्रक मुठिया (स्लाडिंग कन्ट्रोल नाब) को पेटी के उस तरफ कब्जा लगा हो तब तक दबाइये, जब तक कि वह एक सुराख वाली स्थिर मुठिया के पास नहीं पहुच जाती। अब दरार (स्लिट) पूरी तरह खुल गई है (देखिए आकृति 2) ।

3. मतदान के लिये पेटी तैयार करना.– (एक) यह सुनिश्चित कर लीजिये कि दरार स्लिट पूरी तरह खुली हुई है ताकि उसमें से मतपत्र आसानी से डाले जा सके।

(दो) दरार को नियंत्रित करने वाली मुठिया और उपर्युक्त स्थिर मुठिया कि सुराखों में से एक तार का टुकड़ा डालिये। तार के सिरों को कई बार कस कर घुमाइये। खाली मतपेटी उपस्थित अभ्यर्थियों/ अभिमर्ताओं को दिखाईये। मतपेटी के अन्दर पते की चिट भी डालिए।

(तीन) अब ढक्कन बंद कर दीजिए उसे दबाइये और चार सुराखों वाले चल बोल्ट को चार सुराखों वाले स्थिर बोल्ट से मिलाने के लिए उसे सरकाइये। ऐसा करने से ढक्कन का बोल्ट लग जायेगा। हैण्डल खींच कर ढक्कन खोलने का प्रयत्न करके यह देख लीजिये कि ढक्कन का बोल्ट लग गया है या नहीं।

(चार) घूमने वाले खटके और चार सुराखों वाले स्थिर बोल्ट के बीच के अंतर को थोड़े से पिघले हुए चपड़े से बंद कर दीजिए।

(पांच) घूमने वाले खटके को दाहिनी और तब तक घुमाते हुए बोल्ट लगाइये, जब तक कि वह चार सुराख सें वाले चल बोल्ट के पास जाकर रूक नहीं जाता और उससे सट नहीं जाता।

(छः) लचीले तार का एक टुकड़ा लीजिये और उस चल बोल्ट और स्थिर बोल्ट के आमने सामने के सुराखों के सेट में डालिये। चल बोल्ट को सुरक्षित रूप से स्थिर बोल्ट से सटा रखने के लिए तार के सिरों को कस कर मोड़िए।

(सात) फिर धागे का एक टुकड़ा स्थिर और चल बोल्टों के सुराखें में से ठीक वेसे ही पिरोइये जैसे कि जूते के बंद पिरोये जाते है। बहुत सी गठानें लगाते हुए धागे (ट्वाइन) के सिरे आपस में कसकर बांध दीजिये। गठानें यथासंभव पास-पास हों और वे स्थिर और चल बोल्टों से लगी हों। धागे का दूसरा टुकड़ा भी दूसरी दिशा में उसी तरह बांधा जा सकता है जैसा कि नीचे के उप-पैरा में उल्लेखित है।

(आठ) धागे (ट्वाइन) के दोनों खुले छोर एक साथ मिलाकर पकड़िए और उन्हें, निर्वाचन सामग्री के तौर पर आपको दिये गये माटे (कड़े) कागज के टुकड़े (4×6 से.मी.) पर रखिए। अब यथासंभव गठानों के पास अपनी सील लगाइये, इस प्रकार जिससे कि वह

कम से कम एक-दो गठानों पर आ जाए तथा मोटे कागज के टुकड़े पर अपने हस्ताक्षर भी कीजिये। उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को भी, यदि वे चाहें तो, कागज के टुकड़े पर अपने हस्ताक्षर करने दीजिए और धागे के शेष भाग पर अपनी सीले लगाने दी जायें। यदि सील लगाने तथा हस्ताक्षर करने वाले अभिकर्ता दो से अधिक हों तो दूसरे धागे का टुकडा लेकर उसे विपरीत दिशा में छेदों में पिरोकर कसकर पहले टुकड़ें की ही तरह बांध दीजिए और उपर्युक्तानुसार ही सील लगाने तथा हस्ताक्षर करने की कार्यवाही कीजिए। अब अभ्यर्थी/ अभिकर्ता इस बात से अपना समाधान कर सकते है कि पेटी ठीक से बंद कर दी गई है और वह सील तोड़े बिना नहीं खुल सकती।

(नौ) धातु का सील कवर इस बात की सावधानी बरतते हुए इस प्रकार बंद कर दीजिए कि कवर के भीतर की सभी सीलें सुरक्षित रहें।

(दस) धातु के सील कवर तथा उसको जोड़ने वाले स्थिर ब्रेकेट के प्रत्येक सुराखों के एक सेट में से तार का टुकड़ा डालिए। तार के छोरो को कसकर कुछ बार घुमाइये। अब पेटी मतदान के लिए तैयार है (देखिए आकृति 2)

4. दरार बंद करना और मतदान के बाद सील लगाना.-(एक) तार को हटाकर स्थिर ब्रेकेट पर से धातु के सील कवर को खोलिए और इस बात की जांच करके देखिये कि भीतर की सीलें ज्यों की त्यों है, उपस्थित अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं को भी बता दीजिए कि भीतरी सील ज्यों की त्यों है।

(दो) दरार नियंत्रक मुठिया को स्थिर मुठिये से बांधने वाले तार को निकालकर दरार नियंत्रक मुठिया को खोलिए।

(तीन) दरार नियंत्रक मुठिया को धातु के सील कवर की दिशा में तब तक धकेलिए जब तक कि वह स्थिर मुठिया तक न पहुच जाये। ऐसा करने पर दरार बंद हो जाती है।

(चार) दरार नियंत्रक मुठिया तथा उक्त स्थिर मुठिया के छेदों में से तार का टुकड़ा डालिए। तार के सिरों को कसकर कुछ बार मोड़िये। छेदों में से धागे (ट्वाइन) का टुकड़ा डालिए तथा उसके सिरों को मजबूती से कई गठाने लगाकर बांध दीजिए, ताकि दरार नियंत्रक मुठिया स्थिर मुठिया से बंध जाए। जहां तक हो सके गांठें मुठिया के नजदीक होनी चाहिए। अब आगे के दोनों खुले छोर एक साथ मिलाकर पकड़िए और उन्हें आपको दिये गये मोटे (कड़े) कागज के दूसरे ऐसे टुकड़े पर रखते हुए यथासंभव गठानों के पास अपनी सील लगा दीजिए और मोटे कागज के टुकड़े पर अपना हस्ताक्षर भी कीजिए। यदि अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता चाहें तो वे भी इसी प्रकार अपनी सील लगा सकते है तथा अपने हस्ताक्षर कर सकते है।

यदि किसी अभ्यर्थी कर मतदान अभिकर्ता बिलम्ब से आने के कारण स्थिर और चल बोल्टों को बांधने वाले धागे (ट्वाइन) पर मतदान के पूर्व अपनी सील नहीं लगा पाया हो तो उसे भी अब ऐसा करने की अनुमति दी जाए।

(पांच) इसके बाद धातु के सील कवर को बंद कर दीजिए। किन्तु इस बात की सावधानी बरतिये कि सील कवर के भीतर की सभी सीलें सुरक्षित रहें।

(छः) धातु के सील कवर तथा स्थिर ब्रेकेट के छेदों के एक सेट में से एक तार का टुकड़ा डालिए। तार के सिरों को कुछ बार कसकर मोड़ दीजिए। छेदों में से धागे (ट्वाइन) का एक टुकड़ा भी डालिए तथा इसके सिरों को मतबूती से कई गठाने लगाकर बांध दीजिए ताकि धातु का सील कवर स्थिर ब्रेकेट से बंध जावे। आपको दिए गए मोटे (कड़े) कागज के एक और टुकड़े पर धागे के खुले सिरों को मजबूती से गई गठानें लगाकर बांधने के पश्चात् एक साथ पकड़कर रखिए तथा उन पर अपनी सील लगा दीजिए तथा कागज के टुकड़े पर अपने हस्ताक्षर भी कीजिए। सील जहां तक हो सके गठानों के पास ही होनी चाहिए।

(सात) मतदान केन्द्र की मतपेटी या मतपेटियों को बंद कर सुरक्षित कर लेने के पश्चात् फीते से मतपेटी/मतपेटियों को चारों ओर से बांध दीजिए। ढक्कन पर, हैण्डिल के नीचे एक-दूसरे को क्रास करते हुए मतबूत गांठ लगाइये तथा उसके नीचे एक मोटा कागज या पुठ्ठे का टुकड़ा रखकर अपनी सील लगा दें। उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं से कहें कि वे भी यदि चाहें तो अपनी सील लगा दें या हस्ताक्षर कर दें (देखिए आकृति 3)

(आठ) मतपत्रों से भरी हुई मतपेटी/मतपेटियों को कपड़े की थैली/थैलियों में रखकर बंद कर दिया जावे। थैली में लगी डोरी को खींचकर ऊपर हिस्से में गठान लगाकर कस दें और उसे 2-3 बार घुमाकर एक दूसरे से मिली हुई कुछ गांठे लगा दें। डोरी की गांठों पर नीचे एक मोटे कागज का टुकड़ा रखकर प्रथम गांठ से छूती हुई अपनी सील लगा दें जिससे बगैर सील तोड़े गांठ न खोली जा सके। उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं से कहें कि वे भी यदि चाहें तो अपनी सील लगा सकते है। थैली के ऊपरी हिस्से पर भी पते की चिट (एड्रेस टैग) अच्छी तरह बांध दें।

टिप्पणी.-मतदान की समाप्ति के बाद सीलबंद मतपेटी को जिस कपड़े की थैली में रखा जाता है, उस पर स्याही से या रबर स्टाम्प से या अन्यथा रूप से कुछ भी नहीं लिखा जाना चाहिए यह इसलिए आवश्यक है ताकि कपड़े की थैलियाँ खराब न हो जाएं, और भविष्य में उपयोग के लिए अनुपयोगी न बना दी जाएं। पुस्तिका में दिये गये निर्देशानुसार सभी लिखा पढ़ी पते की चिट (एड्रेस टैग) पर की जानी चाहिए। इस बात की परम साबधानी रखी जाए कि उन्हें ऐसे रूप से लगाया या चिपकाया जाय कि वे ले जाते समय निकल न जाएं।

****

मध्यप्रदेश टाइप मतपेटी

चित्र

आकृति 2 मतदान के लिए तैयार पेटी

चित्र

आकृति 3 मतदान के बाद बंद की गई पेटी

चित्र

मतदान केन्द्र के क्षेत्र के सम्बन्ध में सूचना

मतदान केन्द्र क्रमांक..... वार्ड क्रमांक.....

इस मतदान केन्द्र में केवल वे ही मतदाता मत देने के हकदार है जिनके नाम वार्ड क्रमांक.....की मतदाता सूची के भाग अनुक्रमांक.....में सम्मिलित है।

पीठासीन अधिकारी

मतदान केन्द्र क्रमांक.....

प्ररूप–10

(देखिए नियम 32)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

***नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत.....के**
***महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक.....से पार्षद का निर्वाचन**

क्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी का पता (3)	दल से सम्बद्धता (4)	आवंटित प्रतीक (5)

स्थान.....
तारीख.....

.....
रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)
नाम.....

सील

जो विकल्प लागू न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप–12

[नियम 34(1)]

मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति

***नगर निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत..... के**
***महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक.....से पार्षद का निर्वाचन**

मैं.....जो, ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं, ऊपर वर्णित निर्वाचन मैं अभ्यर्थी..... का निर्वाचन अभिकर्ता हैं, एतद्द्वारा श्री/कुमारी/श्रीमती.....पता..... .....को मतदान केन्द्र क्रमांक.....(मतदान के लिये नियत स्थान)..... ....में उपस्थित रहने के लिये मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता/करती हूं।

स्थान..... .....
तारीख..... अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर
नाम.....

मै, ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिये सहमत हूं।

स्थान..... .....
तारीख..... मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर
नाम.....

जो विकल्प लागू न हो उसे काट दीजिए।

मतदान अभिकर्ता की घोषणा

(पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किए जाएं)

मैं, एतद्द्वारा, यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं उपर वर्णित निर्वाचन में साधारणतः निर्वाचन और विशिष्टतः मत दिये जाने की गोपनीयता से संबंधित विधि तथा नियमों द्वारा निषिद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा/करूंगी।

.....
मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर
नाम.....
मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए.

स्थान..... .....
तारीख..... पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम.....

---

*जो विकल्प लागू न हो उसे काट दीजिए।

अभ्याक्षेप की जमा राशि
की
रसीद

श्री.....अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता से रूपये 5.00 (पांच रूपये) की राशि छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 49 के उपनियम (1) के प्रावधान के अंतर्गत, अभ्याक्षेप के संदर्भ में, निक्षेप के रूप में प्राप्त की।

स्थान..... पीठासीन अधिकारी

तारीख..... मतदान केन्द्र क्रमांक.....

प्ररूप–16

[नियम 52 (1)]

अंधे एवं शिथिलांग मतदाता के साथी द्वारा घोषणा–पत्र

***नगर निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत.....के**
***महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक.....से पार्षद निर्वाचन**

मैं.....पिता/पति.....
आयु.....निवासी.....
पता.....
.....
एतद्द्वारा यहा घोषणा करता/करती हूं कि–

(क) मैंने आज तारीख..... को मतदान किसी मतदान केन्द्र पर अन्य मतदाता के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है,

(ख) मैं श्री/कुमारी/श्रीमती.....जो मतदाता सूची के भाग अनुक्रमांक.....के क्रमांक.....पर दर्ज है, के निमित्त मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये मत को गुप्त रखूंगा/रखूंगी*।

स्थान..... .....
तारीख..... (साथी के हस्ताक्षर)

नाम.....

प्रतिहस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी
मतदान केन्द्र क्रमांक.....

---

*जो विकल्प लागू न हो उसे काट दीजिए।

प्ररूप–15

[नियम 49(2)(ग)]

अभ्याक्षेपित मतों की सूची

नगर निगम/ नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत.....के महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक.....से पार्षद का निर्वाचन

मतदान केन्द्र क्रमांक.....

क्रमांक	मतदाता का नाम	मतदाता सूची की प्रविष्टि की विशिष्टियां		अभ्याक्षेपित व्यक्ति के अंगूठे का निशान हस्ताक्षर
		मतदाता सूची का भाग अनुक्रमांक	मतदाता का क्रमांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अभ्याक्षेपित व्यक्ति का पता	पहचानकर्ता यदि कोई हो, का नाम	अभ्याक्षेपकर्ता का नाम	पीठासीन अधिकारी का आदेश	निक्षेप वापस प्राप्त करने पर अभ्याक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

स्थान.....

तारीख.....

.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम.....

जो विकल्प लागू न हो उसे काट दीजिए।

स्टेशन आफिसर, पुलिस को भेजे जाने वाली शिकायत

प्रति,

स्टेशन आफिसर,

.....

.....

विषयः नगरपालिका निर्वाचन के दौरान प्रतिरूपण की शिकायत।

महोदय,

मै एतद्द्वारा यह प्रतिवेदन करता हूं कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....निवासी.....ने मेरे मतदान केन्द्र पर मतदान करने आये एक व्यक्ति की पहिचान को चुनौती दी है। संबंधित व्यक्ति को नगर..... .के मतदान केन्द्र क्रमांक.....पर ड्यूटी में तैनात पुलिस कांस्टेबल/विशेष पुलिस अधिकारी श्री.....के सुपुर्द किया गया है।

2. संबंधित व्यक्ति ने अपने को (नाम) ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....होने का दावा किया है, जिसका नाम नगर निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत.....की मतदाता सूची के वार्ड अनुक्रमांक के क्रमांक .....पर अंकित है। उक्त व्यक्ति अपने को मतदाता सिद्ध नहीं कर सका। मेरे मत में यह व्यक्ति एक ठग (imposter) है अतः उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171–एफ के अंतर्गत उचित कानूनी कार्यवाही करें।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

तारीख. . . . . नाम.....

पीठासीन अधिकारी

स्थान. . . . . मतदान केन्द्र क्रमांक.....

वार्ड क्रमांक.....

नगर.....

जिला.....

पावती

उपरोक्त पत्र व उसमें दर्शाया गया व्यक्ति मुझे तारीख.....को.....बजे पीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसार सौंपा गया।

.....

तारीख..... हस्ताक्षर

पुलिस कांस्टेबल/विशेष पुलिस अधिकारी

स्थान..... मतदान केन्द्र क्रमांक.....

नगर.....

प्ररूप–17

[नियम 54 (2)]

निविदत्त मतों की सूची

***नगर निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत.....के**
***महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक.....से पार्षद का निर्वाचन**

मतदान केन्द्र क्रमांक.....

क्रमांक	मतदाता का नाम	मतदाता सूची की प्रविष्टि की विशिष्टियां		मतदाता का पता	निविदत्त मतपत्र का क्रमांक	उस व्यक्ति को, जिसने पहले मत डाल दिया है, जारी किए गए मतपत्र का क्रमांक	मत निविदत्त करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
		मतदाता सूची का भाग अनुक्रमांक	मतदाता का क्रमांक				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

तारीख.....

.....
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम.....

जो विकल्प लागू न हो उसे काट दीजिए।

मतदान के स्थगन की सूचना

***नगर निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत.....के**
***महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक.....से पार्षद का निर्वाचन**

सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि नगरपालिक ←निगम/नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत.....के वार्ड क्रमांक .....के मतदान केन्द्र क्रमांक..... पर आज तारीख.....को आयोजित मतदान..... .....के कारण स्थगित किया जाता है। पुर्नमतदान की तारीख और समय की जानकारी बाद में संसूचित की जाएगी।

(हस्ताक्षर).....
पीठासीन अधिकारी,

तारीख..... मतदान केन्द्र क्रमांक.....

जो विकल्प लागू न हो उसे काट दीजिए।

प्ररूप–18

(नियम 57)

भाग 1–मतपत्र लेखा

***नगर निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत.....के**
***महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक.....से पार्षद का निर्वाचन**

मतदान केन्द्र क्रमांक.....तथा नाम.....

	अनुक्रमांक		कुल संख्या
	कहां से	कहां तक	
1.पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या .....से			.....
2.उपयोग में लाये गये मतपत्रों की संख्या .....से			.....
3.मतदान केन्द्र पर उपयोग मे लाए गए मतपत्रो की संख्या (1–2=3)			.....
4.मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाए गए किन्तु मतपेटी में नहीं डाले गये मतपत्रः–			
(क) मुद्रण की त्रुटि के कारण रद्द किए गए मतपत्रः–			.....
(ख) निविदत्त मतपत्रों के रूप में उपयोग मे लाए गए मतपत्र			.....
(ग) रद्द किए गए मतपत्र			.....
योग (क+ख+ग)			.....
5. मतपेटी में पाए जाने वाले मतपत्र (3–4=5)			

स्थान.....

तारीख.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
.....
नाम.....

*जो विकल्प लागू न हो उसे काट दीजिए.

भाग 2–प्रारम्भिक गणना का परिणाम

1. मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई मतपेटी (मतपेटियों) में पाये गये मतपत्रों की कुल संख्या.....

2. इस भाग में मद 1 में दर्शायी गई कुल संख्या और भाग–1 की मद 5 में दर्शायी गयी [मतपेटी (मतपेटियों) में पाए जाने वाले मतपत्रों की] कुल संख्या में अन्तर, यदि कोई हो.....

.....
गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

नाम.....

.....
तारीख..... रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर

नाम.....

मतपत्र लेखा की पावती

मैंने निम्नांकित मतदान अभिकर्ताओं को, जो मतदान के बन्द होने पर उपस्थित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किये है, मतपत्र लेखा की एक–एक अभिप्रमाणित सत्यप्रति दे दी है.

हस्ताक्षर.....

तारीख.....

नाम.....
पीठासीन अधिकारी,
मतदान केन्द्र क्रमांक.....

उपर्युक्त मतपत्र लेखा की एक अभिप्रमाणित सत्यप्रति प्राप्त की:–

(1) अभ्यर्थी श्री.....का मतदान अभिकर्ता.....
(2) अभ्यर्थी श्री.....का मतदान अभिकर्ता.....
(3) अभ्यर्थी श्री.....का मतदान अभिकर्ता.....
(4) अभ्यर्थी श्री.....का मतदान अभिकर्ता.....
(5) अभ्यर्थी श्री.....का मतदान अभिकर्ता.....

2. निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने, जो मतदान के बन्द होने पर उपस्थित थे, उर्पयुक्त मतपत्र लेखा की अभिप्रमाणित सत्यप्रति प्राप्त करने और उसके लिये रसीद देने से इंकार कर दिया:–

(1) अभ्यर्थी श्री.....का मतदान अभिकर्ता.....
(1) अभ्यर्थी श्री.....का मतदान अभिकर्ता.....
(1) अभ्यर्थी श्री.....का मतदान अभिकर्ता.....

हस्ताक्षर.....

तारीख..... पीठासीन अधिकारी,
मतदान केन्द्र क्रमांक.....

पीठासीन आफिसर की डायरी

(अध्याय 15 देखिए)

1. वार्ड तथा मतदान केन्द्र का विवरण.....वार्ड क्रमांक.....मतदान केन्द क्रमांक. . . .

2. मतदान की तारीख .....

3.मतदान केन्द्र किस प्रकार के भवन में स्थित है:–(1) भवन का स्वामित्व–शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी

(2)भवन का प्रकार– पक्का/अर्द्धस्थायी/अस्थाई–ढांचा

4. मतदान दल के सदस्यों का विवरण:–

क्रमांक	पदनाम	अधिकारी का नाम(श्री/श्रीमती/कुमारी शब्द सहित)	धारित पर और कार्यालय/संस्था का नाम
1	पीठासीन अधिकारी		
2	मतदान अधिकारी क्र.1		
3	मतदान अधिकारी क्र.2		
4	मतदान अधिकारी क्र.3		
5	मतदान अधिकारी क्र.4		

5. उपयोग में लाई मतपेटियों का

आकार	संख्या	मतपेटी पर उत्कीर्ण क्रमांक(नम्बर)
बड़ी		
छोटी		
कुल		

6. केन्द्र से सम्बद्ध मतदाता और मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या:–

पुरूष/महिला	सम्बद्ध कुल मतदाता (संख्या)	मतदाता जिन्होंने मतदान किया (संख्या)	मतदान का प्रतिशत
पुरूष			
महिला			
योग..			

7.अभ्यर्थी और उनके अभिकर्तागण:-

क्रमांक	पद, जिसके लिए मतदान हुआ	अभ्यर्थियों की संख्या	मतदान के दौरान केन्द्र में उपस्थित अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ताओं की संख्या		अभ्यर्थियों की संख्या जिनकी ओर से अभ्यर्थी या अन्य कोई अभिकर्ता उपस्थित नहीं हुआ
			अभ्यर्थी/उनके निर्वाचन अभिकर्ता	मतदान अभिकर्ता	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पार्षद				
2.	महापौर/अध्यक्ष				

8 अंधेपन अथवा शारिरिक असमर्थता से ग्रस्त..... ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होने किसी साथी की सहायता से मतदान किया।

6. (1) अभ्याक्षेपित (चेंलेन्जड) प्रकरणों की संख्या .....

(2) तुच्छ/गलत अभ्याक्षेप के प्रकरण तथा जप्त की गई धनराशि। .....

(1) प्रकरणों की संख्या .....

(2) जप्त की गई राशि रू. .....

10. निविदत्त (टेण्डर्ड) मतों की कुल संख्या .....

11. प्रतिरूपण (अर्थात फर्जी मतदान) के प्रकरणों की संख्या (जिनमें धारा 171-एफ भा.द.वि. के अंतर्गत पुलिस को रिपोर्ट की गई)। .....

12. मतदान के दौरान बलवा या खुली हिंसा, प्राकृतिक प्रकोप या प्रक्रिया संबंधी गड़बड़ी के कारण मतदान स्थगन की घटनाएं:-

क्र.	घटना का स्वरूप	हिंसा, प्राकृतिक प्रकोप या प्रक्रिया संबंधी गड़बड़ी, जैसी भी स्थिति हो, का सुस्पष्ट विवरण
(1)	(2)	(3)
(1)	बलवा या हिंसा या प्राकृतिक प्रकोप के कारण कुछ देर मतदान में व्यवधान हुआ परन्तु स्थिति नियंत्रित कर लिये जाने/सामान्य हो जाने पर, मतदान ठीक से सम्पन्न हो गया।	(मतदान स्थगित किये जाने की अवधि का उल्लेख अवश्य करें)
(2)	बलवा या हिंसा या प्राकृतिक प्रकोप के कारण मतदान जारी रखना सम्भव नहीं हुआ और उसे स्थगित करना पड़ा परन्तु मतपेटी, मतपत्र आदि का कोई नुकसान न होने से मतदान विकृत नहीं हुआ।	
(3)	बलवा या हिंसा या मतदान केन्द्र पर बलात कब्जा किए जाने के कारण मतदान जारी रखना संभव नहीं हुआ और उसे स्थगित करना पड़ा। साथ ही मतपेटी मतपत्र मतदाता सूची की चिन्हित प्रति छीन लिए जाने या विनष्ट कर दिए जाने के कारण मतदान विकृत हो गया।	
(4)	प्रक्रिया संबंधी गंभीर त्रुटि (जैसे कि मतदाताओं को गलत मतपत्र जारी करने आदि) के कारण मतदान स्थिगित करना पड़ा।	(त्रुटि के कारण प्रभावित पद और वार्ड का उल्लेख अवश्य करें.

टीप– मतदान आगे जारी रखना संभव न होने की स्थिति में, उस समय का उल्लेख भी करें जब मतदान स्थगित किया गया और यह कि तब तक कुल कितने मतदाता मतदान कर चुके थे?

13. जब आखिरी मतदाता ने अपना मत डाला तब का सही–सही समय.....बजे
14. कोई महत्वपूर्ण घटना, यदि घटी हो तो उसका विवरण:–

.....
.....
.....
.....

.....

तारीख.....

मोहर

हस्ताक्षर

(नाम.....)

पीठासीन अधिकारी

शाकेमुभो–705–उसरानिआ–16–6–99–17,500.